[Shri Kamal Morarka]

Pandey is pleading most vociferously for Maharashtra, at least my right to speak for Maharashtra is not less than his.

डा. रत्नाकर पाण्डेय : महाराष्ट्र से मेरा जितना संबंध है, उतना आपका भी नहीं है। ...(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Are you concluding because I have to adjourn the House ?

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मैं वहां अपने दल का पर्यवेक्षक रहा हूं। महाराष्ट्र के साथ आपकी सरकार ने अन्याय किया है। इसके पूरा करिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have to adjourn the House. Please conclude. Mr. Morarka, please conclude in one sentence. *{Interruptions)*

SHRI KAMAL MORARKA : I would only plead with the Members on the other side that here is no need to get excited. To get this expeditiously done, we should use our good offices with the Government. A lot of things are pending. What is the use of. . . (*Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN : At one o'clock we adjourn on Friday.

SHRI KAMAL MORARKA : If the Government makes an announcement on the Mandal Commission, something pending for ten years, you say that the Government has done it in a hurry without consulting you. Here you say, "Do by the evening." I do not understand this. If something is done, you say that it has been done in a hurry.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now be in hurry. I have to adjourn the House.

SHRI PRAMOD MAHAJAN : Where they need not consult, they are asking foi consultation.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We will take up the special mentions after the Private Members' Business.

Hon. Members, on Friday we adjourn the House, for lunch at one o'clock. It is only five minutes extra. So, I adjourn the House till 2-30 P.M. for lunch.

The House then adjourned for lunch at live minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock,

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) in the Chair.] .....

RESOLUTION RE : FIXING OF A TIME-LIMIT FOR GRANT OF PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS PASSED BY STATE LEGISLATURES.

THE VICE-CHAIRMAN : Honourable members we shall take up Private Members' Business (Resolutions), No. 1, Shrimati Sushma Swaraj regarding the need to fix time-limit for the President's assent to the Bills sent to him by the State Legislatures.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उप-सभाध्यक्ष जी, मैं गैर-सरकारी संकल्प के तौर पर यह संकल्प प्रस्तुत करती हूं कि --

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित और राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा अनुमति के लिए आरक्षित बहुत-से विधेयक बिना कोई कारण बताए वर्षों तक लंबित रखे जाते हैं जिससे न केवल राज्य सरकारों के सुचारू कार्यकरण पर असर पड़ता है बल्कि हमारी शासन व्यवस्था का संघीय ढांचा भी कमजोर होता है । यह सभा यह सिफारिश करती है कि राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर उनकी अनुमति दिए जाने के लिए कुछ समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और इस प्रयोजनार्थ, यदि आवश्यक हो, तो संविधान में संशोधन भी किया जाना चाहिए ।"

उपसभाध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-200 और 201 में यह प्रावधान

किया गया है कि राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति किस तरह प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद-200 में यह व्यवस्था है कि जब कोई विधेयक राज्य विधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है या अगर किसी राज्य में द्वि-सदन प्रणाली है तो दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाएगा। इसी धारा में, यह प्रावधान है कि उस समय राज्यपाल के पास तीन विकल्प होंगे। पहला, वह विधेयक पर सहमति प्रदान कर दे। दूसरे, वह विधेयक पर सहमति रोक ले और तीसरे वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख ले। इन तीनों विकल्पों के अलावा उपधारा में एक और प्रावधान है यदि राज्यपाल चाहे तो अपनी उस सिफारिश के साथ उस बिल को दोबारा राज्य विधान मंडल को भेज दे कि सदन या राज्य विधान सभा के दोनों सदन उस पर पुनर्विचार करें। इसी धारा में फिर यह प्रावधान किया गया है कि यदि सदन उस पर पुनर्विचार करता है, क्योंकि पुनर्विचार उसको करना ही होगा जब राज्यपाल पुनर्विचार करने की बात करेंगे, तो यदि राज्य विधान मंडल उस बिल को संशोधित रूप में, यानी उनके एमेंडमेंटस को मानते हुए, पार्शली मानते हुए या न मानते हुए या पूर्व स्वरूप में, वापिस राज्यपाल को भेजता है तो फिर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति रोक नहीं सकेंगे। तब उनको अपनी सहमति प्रदान करनी ही होगी। यह प्रावधान धारा-200 के अंदर है।

अब सवाल उठता है कि जब राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचारार्थ बिल को सुरक्षित रखते हैं तो राष्ट्रपति के सामने क्या विकल्प हैं। तो राष्ट्रपति के सामने भी दो विकल्प दर्शाए गए हैं। पहली बात तो यह है कि, वह उस पर सहमति प्रदान कर दे। दूसरे यदि वह चाहे तो सहमति रोक ले और तीसरे, वहां भी यह उपबंध है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो सदन को कोई सिफारिश पुनर्विचार की दें, तो वे राज्यपाल को यह निर्देश दें कि अमुक बिल राज्य विधान मंडल को इस संशोधन के साथ वापिस कर दिया जाए कि सदन उस पर पुनःविचार करे। फिर सदन 6 महीने के भीतर-भीतर उस पर पुनर्विचार करेगा और पुनर्विचार करने के बाद वह बिल राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेज दिया जाएगा। इसके आगे ये धारा चुप हो जाती है।

अब मैं यहां बताना चाहूंगी कि राज्यपाल को भेजे गए बिल में और राष्ट्रपति को भेजे गए बिल में दो प्रमुख अंतर हैं। इन दोनों धाराओं को पढ़ने से वह अंतर बहुत स्पष्ट हो जाता है। पहला अंतर तो यह है कि जब राज्यपाल बिल को भेजते हैं पुनर्विचार के लिए तो राज्य विधान मंडल के लिए जरूरी नहीं कि वह 6 महीने के अंदर-अंदर उस पर विचार कर ही ले। उसकी मर्जी है क्योंकि उसमें कोई समय-सीमा नहीं लगायी गयी है। लेकिन राष्ट्रपति यदि पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो निश्चित समय सीमा के अंदर अर्थात् 6 महीने के अंदर राज्य विधान मंडल को अपनी बैठक बुलानी होगी और उस पर पुनर्विचार करना ही होगा। एक तो यह प्रमु अंतर है और दूसरा अंतर जो उससे भी ज्यादा प्रमुख है, वह यह कि राज्यपाल को यदि पुनर्विचार के बाद बिल लौटाया जाता है तो वह उस पर दोबारा सहमति रोक नहीं सकते। उनको वह सहमति देनी ही होगी। संविधान उन पर यह पाबंदी लगाता है। लेकिन राष्ट्रपति को सहमति के बाद बिल भेजा जाएगा तो उन पर यह पाबंदी नहीं है कि वह उस पर सहमति दे ही दें। केवल यहां आकर के धारा समाप्त हो जाती है कि बिल राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। यानि इसके मायने यह हैं कि उसके बाद भी राष्ट्रपति जी उस बिल को रख सकते हैं और अनिश्चित काल तक रख सकते हैं। यह

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

दोनों धाराओं में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। संविधान की कोई धारा न तो राष्ट्रपति जी को बिल को सहमति प्रदान करने को विवश करती है, न राज्य सरकार को कारण बताने की व्यवस्था करती है और न ही उसे अंतिम आदेश पारित किए जाने की समय सीमा निर्धारित करती है।

उपसभाध्यक्ष जी, ऐसी व्यवस्था के अभाव में ऐसे-ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं जहां 12-12 साल के बाद राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अंतिम आदेश पारित किया गया। एक उदाहरण तो मैं सदन में दे सकती हूं। "दि ट्रेड यूनियन वेस्ट बंगाल अमेंडमेंट बिल, 1969"। उपसभाध्यक्ष जी, 1969 में यह बिल पेश किया राष्ट्रपति जी को, 10-11-1969 को और अगस्त, 1982 में इस बिल पर अंतिम आदेश पारित किया गया। यानि 13 साल में 2 महीने कम समय में। इतने समय बाद राष्ट्रपति ने अंतिम आदेश पारित किया और वह भी क्या ? Assent withheld. यानि बीना सहमति दिए इस बिल को लौटाया गया लेकिन 13 साल में 2 महीने कम समय के बाद। आप बताइए कि कैसे राज्य सरकारें इस तरह से अपना काम चला सकती हैं ?

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने कारण जानने चाहे थे, अभी एक अतारांकित प्रश्न दिया था मैंने राज्य सभा के अंदर और अभी 5 तारीख को मुझे उसका उत्तर मिला है। मैंने उसमें जानना चाहा था कि आज तक कितने बिल राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए लंबित पड़े हैं ? उनके कारण क्या हैं ? उनकी विषय-वस्तु क्या है ? मुझे 5 तारीख को जवाब मिला कि 30 अगस्त, 1990 तक 74 बिल राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए लंबित हैं और इन 74 बिलों में से कई बिल तो ऐसे हैं जो 6-6 साल पुराने हैं। कई बिल ऐसे हैं जो 3-3 साल पुराने हैं। एक आधा बिल 7 साल पुराना है। 2 या 3 साल तक बिल पड़े रहना तो सामान्य बात है। 2 या 3 साल तक तो रूटीन बन गई है बिल को रखना, लेकिन 6-6 साल के बिल भी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूं। Karnataka Education Bill, 1983. 10-08-84 से लंबित है। राजस्थान का जोधपुर यूनिवर्सिटी चेंज आफ नेम बिल, 1984, 23-05-84 से लंबित है। The Calcutta University Amendment Bill, 1984 21-05-84 से लंबित है। The Tamil Nadu Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption Use of 7-05-83 से लंबित है। Sale Therein Bill, 1983. The Tamil Nadu Urban Land Ceiling and Regulation Amendment Bill, 1985 02-08-85 से लंबित है।

अब ये आंकड़े कोई अच्छी स्थिति के परिचायक नहीं हैं। राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों को 5-5, 6-6 साल तक आप कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं और 2-2, 3-3 साल तक तो उनकी खबर ही नहीं लेते हैं, ऐसा करना हमारी संघीय व्यवस्था को ठेस पहुंचाना है।

मैंने अपने इस सवाल के जवाब में कारण जानने चाहे थे कि मुझे वह कारण बताएं जाएं कि बिल क्यों लंबित होता है ? मुझे दुख होता है आपके सामने कहते हुए कि ए से लेकर जेड तक 74 के 74 सवालों के जवाब में सिर्फ उन विधेयकों को छोड़कर जहां लिखा गया

Government pending with the State

केवल एक ही कारण बताया गया है: under examination in consultation with the concerned administrative Ministries/departments.

जानना चाहती हूं, उपसभाध्यक्ष जी, कि एक वर्ष से आए हुए बिल भी निरीक्षण के अधीन हैं, उस पर निरीक्षण हो रहा है, 3 वर्ष से आए हुए बिल पर भी निरीक्षण हो रहा है और 6 वर्ष से आए हुए बिल पर भी निरीक्षण हो रहा है, आखिर इस निरीक्षण की कोई मियाद है या नहीं ? कब

तक निरीक्षण होगा ? कब तक एग्जामिनेशन चलेगा ? कब तक संबंधित मंत्रालयों से बात की जाएगी ? कब तक प्रशासन के नीचे ये बिल दबे रहेंगे ? एक ही जवाब है एक से लेकर 74 तक, मैं आपको दिखा सकती हूं कि एक ही जवाब है । कहीं तो दूसरा जवाब दिया जाता । कहीं तो कहा जाता कि यह इनकंसिस्टेंट है स्टेट ला के । कहीं कहा जाता है कि रिकांग्नाइज्ड हैं जो धाराएं संविधान में जिनका प्रावधान किया गया, मगर नहीं एक से लेकर और आखिर under examination in consultation with the concerned administrative ministries or departments.

मुझे बहुत दुख होता है और मैं जानना चाहती हूं कि आखिर कब तक, क्योंकि यह जवाब बिल्कुल संतोषजनक नहीं है । अगर कोई बाधा है, अगर कोई अड़चन है, राष्ट्रपति जी इनको सहमति नहीं देना चाहते तो आप लौटा दीजिए, बिना सहमति के लौटा दीजिए । कम से कम उस राज्य के नागरिकों को यह तो पता चल जाएगा कि यह बिल किस विषय-वस्तु को लेकर के हमारे राज्य विधान मंडल ने पारित किया था और अमुक कारणों से राष्ट्रपति जी ने इस पर सहमति नहीं दी । अब तो राज्य के नागरिकों को कतई इस बात का पता नहीं चलता । वह विधेयक यहां ठण्डे बस्ते में पड़ा रहता है । मैं पूछना चाहती हूं कि इस तरह बिना कोई कारण बताए केवल एक ही रटा रटाया जवाब दे करके कि उन समस्त बिलों को यहां पड़ा रखना, यह कैसा निरीक्षण है ? यह कहां का न्याय है? और यह कैसी संघीय व्यवस्था है ? उपसभाध्यक्ष महोदय, तीन-तीन विधान सभाएं बदल जाती हैं, दो-दो राष्ट्रपति बदल जाते हैं लेकिन वह बिल गृह मंत्रालय की फाईलों की धूल चाटता रहता है । उस बिल के ऊपर न राज्य सरकार को बताया जाता है कि उन बिलों पर क्यों सहमति नहीं दी जा रही है । उसे ऐसी नींद सुला दिया जाता है कि बाहर की हवा इसे लगने नहीं पाती और राज्य विधान मंडल यहां बैठकर अफसोस महसूस करते हैं, कोसते हैं लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि संविधान की कोई धारा उनके हाथ मजबूत नहीं करती है ।

उपसभाध्यक्ष जी, आपको तो जानकारी होगी कि केन्द्र सरकार संबंधों के विषय में सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग के सामने भी इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा की गयी है । लगभग सभी राज्य सरकारों ने दो राज्य सरकारों को छोड़ करके, अपने-अपने सुझाव दिए हैं और हर राज्य सरकार ने जो केन्द्र राज्य सरकार संबंध की बात की तो इस विषय को निश्चित रूप से उठाया, क्योंकि करीब-करीब हर राज्य सरकार भुक्त भोगी थी, हर एक के साथ यह परेशानी वह भुगत चुके थे । उनमें से कई राज्य सरकारों ने तो यह सुझाव दिए कि धारा-200 और 201 कतई अनावश्यक हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है । कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि नहीं, इस पर तो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए और संशोधन के तौर पर उन्होंने यह सुझाया कि जो राज्य सूची में रखे गए हैं अगर उन विषयों पर राज्य विधान मंडल कोई विधेयक बनाते हैं, कोई बिल बनाते हैं तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था राज्यपाल के पास नहीं होनी चाहिए । लेकिन कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी थीं जो इन धाराओं के इसी स्वरूप में बनाए रखने के पक्ष में थीं । उन लोगों का भी एक तर्क था और उनका यह तर्क था कि यदि आप पूरे देश के अंदर विधानों में एक रूपता लाना चाहते हैं, संविधान के अंदर समरूपता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उन धाराओं में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, उन धाराओं को इसी

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

तरह से बनाए रखना चाहिए । लेकिन उप-सभाध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहूंगी— राज्य सरकारों ने सुझाव दिए, अखिल भारतीय राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए, सुझावों में मतभेद हो सकता है लेकिन एक बात है, तमाम राजनीतिक दल और तमाम राज्य सरकारें सहमत थीं, एक मत थीं और वह बात क्या थी कि धारा-200 के अंदर जो एच्छिक शक्तियों का प्रयोग करके, डिस्क्रियेशन का प्रयोग करके राज्यपाल को यह शक्ति दी गयी है राष्ट्रपति के पास बिल को आरक्षित रखने की । यह डिस्क्रियशन, इस एच्छिक शक्ति का प्रयोग आज स्टेट्यूटरी मैनर में नहीं आता । इस एच्छिक शक्ति का प्रयोग यदाकदा होगा, अपवाद स्वरूप होगा और केवल तब हो जब बहुत अत्यावश्यक परिस्थितियों का निर्माण हो जाए । इस बात के ऊपर तो तमाम के तमाम लोग एकमत थे, क्योंकि इन राज्य सरकारों का एक तर्क है कि इस चीज से सुपरमेसी आफ स्टेट लेजिस्लेटर्स को ठेस पहुंचती है । राज्यों के नागरिकों की प्रभुसत्ता राज्य विधान मंडल में निहित होती है और राज्य विधान मंडल अगर किसी विधेयक को पारित करके भेजते हैं और उसके ऊपर केन्द्रीय कार्यपालिका क्योंकि यहां मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जी को जब बिल जाता है तो वह संसद के माध्यम से नहीं जाता, संसद का कोई दखल नहीं है उसमें, यूनियन एक्जीक्यूटिव के माध्यम से जाता है, गृह मंत्रालय के माध्यम से जाता है तो केन्द्रीय कार्यपालिका के जरिए क्योंकि यह सहमति देने का काम होता है इसलिए ऐसा लगता है कि राज्य विधान मंडल केन्द्रीय कार्यपालिकाओं के नीचे कर दिए गए हैं और यह बात संघीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं बैठती, इसलिए इस तरह के सुझाव यहां दिए गए । लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहूंगी कि वह जो यह चाहते हैं कि आर-बीट्ररी मैनर में इस शक्ति का प्रयोग न हो इस बात को आप सुनिश्चित कैसे करेंगे ? संविधान निर्माताओं ने तो इसको सुनिश्चित किया था एक परिपाटी के माध्यम से । संविधान निर्माताओं ने जब कुछ प्रावधान रखे तो उन प्रावधानों के साथ यह बात कही गयी थी कि उस समय भी जिन पर ऐतराज आदि उठाए गए तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, कुछ संसदीय परम्पराएं ऐसी हैं, संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, कुछ संसदीय परम्पराएं ऐसी हैं जो इन पर चैक्स एण्ड बैलेंसेज का काम करेंगी । कुछ परिपाटियां ऐसी हैं जो इनका दुरुपयोग नहीं होने देंगी और उसको सामने रखकर उन्होंने इस तरह का प्रावधान कर दिया लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, जो चाहिए वह हमेशा होता नहीं और अगर वह हो जाए तो फिर विवाद का कोई विषय ही नहीं है । अगर इन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, अगर इन स्वस्थ परिपाटियों का ख्याल रखते हुए राज्यपाल ने अपनी इन शक्तियों का प्रयोग किया होता या राष्ट्रपति जी ने अनिश्चित काल तक के लिए इस तरह के विधेयकों को न रखा होता तो ये धाराएं कभी भी विवाद का विषय नहीं बनतीं लेकिन ये विवाद का विषय बनी हैं क्योंकि हमारा 40 साल का राजनीतिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन धाराओं का दुरुपयोग हुआ है ।

महोदय, एक बार वह विधेयक यहां आ जाता है तो वर्षों तक मामला लटक जाता है । स्टेट लेजिस्लेचर की बिल फ्लाउट की जाती है, राज्य विधानमंडलों की इच्छाओं का हनन होता है और इससे भी बड़ी बात यह है कि आप इस तरह के किसी कृत्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते ।

महोदय, आप तो ला के ज्ञाता हैं, आपको तो पता होगा । दो बहुत

इम्पोर्टेंट साइटेशन्स है इसके ऊपर—'भारत सेवाश्रम वर्सेज स्टेट आफ गुजरात' और 'हैक्स वर्सेज स्टेट आफ बिहार'। जहां सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले को टोटली जस्टीशिएबल माना है। मैं केवल एक लाइन आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि :—

"The entire matter relating to the Governor's assent or reservation of a Bill is non-justiciable."

यानी आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते और फिर इसके साथ ही संविधान में कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है कि राज्यपाल अपने पास यह बिल कब तक रखेगा। ये दोनों बातें अलग-अलग हैं। राज्यपाल के पास बिल तो अनिश्चित काल तक रहता है लेकिन राष्ट्रपति को वह भेजेगा कब इसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे वह अपने पास वर्षों तक रखे जब कि उसे राष्ट्रपति के पास भेजना है और राष्ट्रपति के पास रखने की भी कोई सीमा नहीं रखी गई है कि वह एक महीने में या दो महीने में इस पर अपना निर्णय दे देंगे और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई कि कोई टाइम लिमिट नहीं है और वह इनडैफिनेटली रख सकते हैं।

एक और साइटेशन में—'पुरुषोत्तमन वर्सेज स्टेट आफ केरला'—सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि :—

"The Constitution does not impose any time-limit within which the Governor should make any of these declarations and there is no means to compel him to come to a declaration if he simply keeps a Bill pending before him indefinitely."

अगर वह अनिश्चित काल तक अपने पास इस बिल को रख लेता है तो संविधान की कोई धारा उसको बाध्य नहीं करती कि वह इसे लौटाए। अब आप स्वयं सोचिए, पहले तो राज्यपाल अनिश्चित काल तक उसको रख लें और फिर राष्ट्रपति उसको अनिश्चित काल तक रख लें, भारतीय संसद उसमें कोई दखल न दे सके, न्यायालय में उसको चुनौती न दी जा सके, राज्य विधानमंडल चुनौती न दे सके, नागरिक अपना विरोध जाहिर न कर सकें तो क्या ऐसे में यह आवश्यक नहीं हो जाता कि संविधान में ही समय सीमा का निर्धारण किया जाए और राष्ट्रपति और राज्यपाल को बाध्य किया जाए कि वह अमुक समय के अन्दर अमुक बिल पर अपना अंतिम निर्णय दे दें। या तो उस पर अपनी सहमति दे दें या बिल को बिना सहमति के लौटा दें। इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है क्योंकि संविधान निर्माण के समय जो प्रावधान रखे गए थे, वे एक विशेष परिपाटी के तौर पर रखे गए थे। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिन प्रावधानों को स्वस्थ्य परिपाटी की परिधि में बांधने की बात की गई थी, वह धाराएं स्वयं कांस्टीट्यूशनल कोल्ड स्टोरेज का काम कर रही हैं। वह धाराएं ऐसा ठंडा बस्ता बन गई हैं जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जिसमें संसद की दखलदांजी नहीं हो सकती, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए मैं इस सदन के सामने यह संकल्प लेकर आई हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राज्य विधानमंडलों द्वारा और केन्द्रीय संसद के द्वारा बनाए जाने वाले विधानों का वर्गीकरण किया गया है। तीन सूचियां बनाई गई हैं वर्गीकरण के बारे में, जिनको अलग-अलग रखा गया है - यह केन्द्र की सूची है, यह राज्य की सूची है और यह समवर्ती सूची है। जहां

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

तक यूनियन लिस्ट का सवाल है, उसमें जिन विषयों का उल्लेख है, उन विषयों को तो राज्य सरकार छू भी नहीं सकती है। इसलिए उन पर कोई विवाद हो नहीं सकता। विवाद होता है समवर्ती सूची पर, विवाद होता है राज्य सूची पर। जहां तक समवर्ती सूची का सवाल है, संविधान की धारा 254 बहुत ही स्पष्ट है। मैं उसको आपकी और सदन की जानकारी के लिए पढ़ देना चाहती हूं :

उसमें बड़े साफ तौर से यह प्रावधान है कि अगर कोई विधान ऐसी समवर्ती सूची के विषय में बनाया जाता है जो यूनियन पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए विधान के अनुकूल नहीं है तो राज्य विधान मंडल द्वारा बनाया गया विधान अवैध है। धारा 254(2) में इसका प्रावधान है :

(1) IF any provision or. a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of| the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void."

"(2) Where a law made by the Legislature of a State . . . with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or any existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State."

इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर राज्य विधान मंडल द्वारा कोई विधेयक बनाया जाता है जो कि रिपगनेंट है पहले बने हुए विधान के साथ टू दि एक्सटेंट आफ रिपगनेंसी वह विधेयक भी अवैध होगा। यह बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ बिल ऐसे हैं जो लाजिमी तौर पर राष्ट्रपति की सम्मति के लिए राज्यपाल को रखने ही होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। उसमें बारे में मैं आपको बता सकती हूं कि ये वे बिल हैं और इन धाराओं के तहत हैं। यदि अनुच्छेद 200 के प्राविजो के अंदर कोई भी बिल बनाता है तो राष्ट्रपति के लिए उसे आरक्षित रखा जाएगा। अगर 288 धारा की उपधारा (2) के तहत कोई बिल बनता है तो वह लाजिमी तौर पर राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाता है। अगर वित्तीय आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 250 के अधीन कोई बिल बनता है तो वह भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होगा ही। इनके विषय में कोई विवाद नहीं हो सकता। मैं इन विधेयकों की तफसील में नहीं जाना चाहती हूं। जिन धाराओं का उल्लेख मैंने किया है उनकी जानकारी हासिल की जा सकती है। लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें कुछ विशेष उद्देश्यों की खातिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। इनका भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ऐसे विधेयकों में संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के अधीन किसी संपदा का अधिग्रहण करना चाहते हैं तो उसे अनुच्छेद 19 के अधीन प्रेसिडेंट के ऐस्सेंट के लिए रखना ही होगा। अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त की पालना करते हुए कोई बिल बनाते हैं तो उसे भी प्रेसिडेंट की ऐस्सेंट के लिए रखना होगा। इसी तरह से धारा 304(ख) को धारा 255 के साथ पढ़े तो उसके लिए जो विधेयक बनते हैं उनको भी विशेष उद्देश्यों की खातिर आरक्षित रखा जाता है। इन बिलों को आरक्षित रखने के बारे में कोई विवाद नहीं है। विवाद तो वहां खड़ा होता है जहां

राज्य मंत्रि परिषद की सलाह दरकिनार रखते हुए केवल अपनी ऐच्छिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजते हैं । मैं तो कहती हूं कि वहां पर भी आरक्षित रखने पर मेरा कोई मतभेद नहीं है क्योंकि मैं इस तर्क में बहुत वजन देखती हूं जब यह कहा जाता है कि कुछ बिल उतावली में राज्य सरकारें पास कर देती हैं । कुछ लोकप्रिय विषयों पर हम लोगों की एक प्रथा बन गई है कि जल्दी जल्दी बिल ले आओ। लेकिन जब आदमी शान्ति से उस पर सोचता है तो उसे

3.00 P.M. वह सही नहीं पाता है । इसलिए अगर यह रहेगी, यह प्रोविजो रहेगा तो एक चैक एंड बैलेंस का काम करेगी । उतावली में किसी भी राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किये गये किसी विधेयक पर यदि राज्यपाल कोई बात बताए, उसकी बैटर सेंस प्रिवेल कर जाए राज्य सरकारों पर तो हो सकता है राज्य सरकार स्वयं ही उसे वापस मंगाने की सिफारिश करे । आजकल पब्लिशड मैजर्स अपनाने की प्रथा हो गयी है । एक मांग उठी कहीं से और उस पर आप विधेयक ले आये । अगर इस तरह का प्रावधान रहेगा, ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कम से कम उतावली में पारित किये गये विषयों पर पुनर्विचार करने की गुंजाइश रहेगी । इस तर्क में बहुत वजन है । इसके लिए पक्षधर नहीं हूं कि धारा 200 के तहत ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करके राज्यपाल बिलों को आरक्षित रखता है इसके अंदर किसी संशोधन की जरूरत है । लेकिन आप भी मानेंगे, सदन में बैठे हुए मेरे साथी भी मानेंगे कि इस धारा को अनिश्चितकालीन समय तक, असीमित समय तक खुला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि आप के पास शक्ति है आरक्षित रखने की और संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है कि कब तक इसको आप रखे रहेंगे । आप रखे रहिये दो-दो, तीन-तीन साल तक विधेयक को, भेजिये नहीं राष्ट्रपति जी के पास । उसके बाद जब राष्ट्रपति जी के पास जायेगा तो उनके पास भी अनिश्चित काल तक रखने की शक्ति है । उनके पास से फिर पुनर्विचार के लिए भेज दिया जायेगा कि राज्य विधान मंडल पुनर्विचार करके लौटा दें । तब आप रखे हुए हैं। 12 वर्षों तक कोई पूछने वाला नहीं है । मैंने उदाहरण दिये इस सदन में । 13 साल में दो महीने कम एक बिल पर अंतिम आदेश पारित हुआ । मैंने आंकड़े पूछे थे इस गृह मंत्रालय से तो वे आंकड़े मुझे परसों मिले हैं मेरे अतारांकित सवाल के जवाब में कि 6-6 साल से बिल पेंडिंग पड़े हैं । आप कारण बताइये, कोई तर्क दीजिए, आप यह बताइये क्यों ऐसा कह रहे हैं, कोई कन्वीन्सिंग रीजन दीजिए । एक रीजन आप देते हैं कि आप मंत्रालय से बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं तो क्या यह रीजन कन्वीन्सिंग है अपने आप में ? आप राज्य विधान मंडल के विधेयक अपने यहां रखे रहें, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, पूरे सदन से कहना चाहती हूं कि हम लोगों को आपत्ति केवल इतनी है कि जो बिलों को आरक्षित रखने का प्रावधान है, आरक्षित रखने की शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति को दी गयी है वह असीमित समय के लिए नहीं होनी चाहिए । बल्कि उन पर समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए ।

मैंने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया । वहां कुछ सुझाव भी दिये गये हैं, कुछ तर्क दिये गये हैं उसके बाद कुछ मुद्दे उन्होंने छांटे कि इन-इन मुद्दों पर चर्चा करनी है, उसके बाद उन्होंने सिफारिशात की । सरकारिया आयोग की इन मुद्दों पर सिफारिशात बहुत लम्बी है मैं उन सब को पढ़ना नहीं चाहती । मुझे मालूम है मेरे जितने साथी सदन में बैठे हुए हैं, मुझे बताया कि वह इस विषय पर बोलना चाहते हैं । मैं चाहूंगी कि इस प्रस्ताव को समर्थन मिले इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी,

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

बाकी साथियों के विचार सुनना चाहूंगी और यह पता लगे कि गृह मंत्रालय इस पर क्या कहना चाहता है । उस सरकारिया आयोग की सिफारिशात का केवल वह पैरा पढ़ना चाहती हूं कि जो समय सीमा निर्धारण से बावास्ता है । इस बात को सरकारिया आयोग ने माना है कि समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए अन्यथा इन शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है और आगे भी होता रहेगा । मैं केवल वही पैरा इस सदन के सामने पढ़ना चाहूंगी । सरकारिया आयोग ने पैरा 5-19-07 (क) में लिखा है । इसमें उन्होंने समय सीमा के निर्धारण की सिफारिश की है :

> "एक स्वस्थ परिपाटी के अनुसार राष्ट्रपति के विचार किए जाने के लिए रखे गये किसी विधेयक का निपटारा राष्ट्रपति द्वारा उस तारीख से चार माह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए जिस तारीख को यह संघ सरकार को प्राप्त होता है ।"

यह विधेयक यूनियन गवर्नमेंट के पास या मिनिस्टरी के पास आता है तो उसके चार महीने के अंदर राष्ट्रपति को इसका निपटारा करना चाहिए । निपटारा शब्द है । सहमति की बात नहीं है । अंतिम आदेश पारित किया जाए सहमति दीजिए या न दीजिए । यह आपकी इच्छा शक्ति पर है । यह आपका अधिकार क्षेत्र है । उस अधिकार क्षेत्र को छीनना नहीं चाहते । आप समझते हैं कि कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है, अगर आप समझते हैं कि यह विधेयक ऐसा बन रहा है जो शायद देश के व्यापक हित में नहीं होगा तो मत दीजिए सहमति। हम उस अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनना चाहते । लेकिन अंतिम निपटारा जरूर करें। कारण बताइये राज्य विधान मंडल को कि क्यों मैं इसे रोके रखना चाहती हूं, सहमति नहीं देना चाहता । लेकिन अन्तिम निपटारा चार महीने के भीतर किया जाना चाहिए। दूसरे में लिखा है :

> "तथापि, यदि राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगना अथवा अनुच्छेद 201 के परन्तुक के अधीन, राज्य विधान मंडल के पुनः विचार के लिए विधेयक को वापस करना आवश्यक समझा जाए तो यह कार्रवाई उस तारीख से 2 मास के भीतर की जाए जिस तारीख को संघ सरकार को मूल पत्र प्राप्त हुआ था ।"

यानी आप निपटारा इस तरह से करना चाहते हैं कि राज्य का विधान मंडल इस पर पुनर्विचार करे तो चार महीने की जरूरत नहीं है, दो महीने के अन्दर अन्दर राज्य विधान मंडल को लिखकर भेज दीजिये कि मेरी ये सिफारिशात हैं, मेरा यह संदेश है, राज्य विधान मंडल इस पर पुनर्विचार करे । तीसरे, स्पष्टीकरण भेजने के लिए पत्र स्वतः पूर्ण होना चाहिए, अलग अलग स्पष्टीकरण न मांगे जायें । मैं इस बात को बल देकर कहना चाहती हूं कि जो हमारा काम करने का स्टाइल है और जिस तरह से पीसमील वर्क होता है, पहले एक धारा के लिए स्पष्टीकरण मांग लिया, तीन महीने में जवाब आया तो फिर दूसरी धारा का मांग लिया । ब्यूरोक्रेसी की स्टाइल से हम सब परिचित हैं । इसलिए सरकारिया आयोग ने बल देकर कहा है कि स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्र स्वतः पूर्ण होना चाहिए । जिन जिन बातों पर स्पष्टीकरण मांगना हो उनको एक बार लिखकर भेज दिया जाय, पीसमील में धाराओं का स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाना चाहिए ।

चौथे, राज्य से अनुच्छेद 201 के परन्तुक के अधीन स्पष्टीकरण प्राप्त होने अथवा पुनर्विचारित विधेयक प्राप्त होने के बाद उस मामले का निपटारा राष्ट्रपति द्वारा उस तारीख से 4 माह की अवधि के भीतर किया जाय जिस तारीख को राज्य सरकार से स्पष्टीकरण अथवा पुनर्विचारित विधेयक प्राप्त हुआ हो ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) : Now, you may please conclude.

Under Rule 161 of the Rajya Sabha Rules, the maximum time to be given is 30 minutes. You may conclude in three minutes.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं तीन मिनट में समाप्त कर रही हूं । मैंने स्वयं ही कहा है कि मेरे साथी इसमें ज्यादा हिस्सा लें ।

चौथी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जब पुनर्विचारित विधेयक वापस आ जाय तो फिर चार महीने के भीतर उसका निपटारा कर दो, उसके बाद सहमति देनी है या नहीं देनी है, यह तय करके भेज दो, लेकिन उसको अनिश्चित काल तक नहीं रोका जाय ।

इस सब के बाद उन्होंने आखिर में कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि यहां उल्लिखित अथवा अन्य समय सीमाओं को संविधान में शामिल किया जाय । सरकारिया आयोग ये सिफारिशें तो बहुत बलपूर्वक कर गया, लेकिन उनको लगा कि शायद इसमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ परिपाटी के तौर पर किया जाय । सेल्यूटरी कंवेंशन शब्द उन्होंने यूज किया है । सेल्यूटरी कंवेंशन के तौर पर इसका निभाव होना चाहिए । लेकिन इससे थोड़ा मतभेद रखते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि सन् 1988 में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आई । अगर सेल्यूटरी कंवेंशन के प्रति थोड़ी-सी भी चिन्ता केन्द्र सरकार को होती, स्वस्थ परिपाटी पर अमल करने की थोड़ी-सी भी इच्छा शक्ति केन्द्रीय सरकार में होती तो परसों जो आंकड़े दिये गये हैं वे आंकड़े इतने पुराने न होते और वे आंकड़े ऐसे नहीं होते कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी अगर छः छः साल तक विधेयक लम्बित पड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि स्वस्थ परिपाटी शब्द के तौर पर अगर इन सिफारिशों पर अमल करना चाहते हैं तो यह अमल कतई नहीं होगा, कदापि नहीं होगा । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकारिया आयोग की ये सिफारिशें बहुत ही विचार विमर्श के बाद और बहुत सोच समझ कर तय की गई हैं । यह जो समय सीमा निर्धारित की गई है चार महीने की, दो महीने की, इसमें ज्यादा रद्दोबदल करने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन यह सिफारिशें हमें स्वस्थ परिपाटी के तौर पर नहीं चाहिएं बल्कि हमें ये संविधान की आवश्यकता के रूप में चाहिएं संविधान की अनिवार्यता के रूप में चाहिएं । इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी । धारा 200 और 201 को इन समय सीमाओं में बांधना आज अत्यावश्यक है ताकि संविधान के कोल्ड स्टोरेज का सिलसिला जो इन दो धाराओं के माध्यम से चल रहा है वह समाप्त हो और संघीय ढांचा ज्यादा सुचारू और स्वस्थ रूप से चल सके और राज्य विधान मंडल की इच्छा शक्ति का हनन न किया जाय, राज्य के नागरिकों की अवमानना न की जाए, संघीय ढांचे को बल मिल सके, इसलिए मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है । मैं चाहूंगी कि इस सदन में बैठे हुए साथियों का इसको समर्थन मिले । गृह मंत्री इस बात को माने और हो सकता है, वे अपने जवाब में यह कहें कि हम सरकारिया आयोग की सिफारिशों को मान जाएंगे, कंवेंशन के तौर पर मान जाएंगे । मैं जानती हूं, यह सरकार परम्पराओं को मानती है और स्वस्थ परम्परायें कायम करना चाहती है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यह मामला इस सरकार का या उस सरकार का नहीं है । अगर यह सरकार परम्पराओं को मानना चाहती है तो यह सुनिश्चित कर दे कि आगे आने वाली कोई भी सरकार इस धारा का दुरूपयोग न कर सके । इसलिए यह और भी जरूरी हो गया है कि स्वस्थ परम्परा के तौर पर नहीं, इस समय सीमा को संविधान में बकायदा संशोधन करके धारा 200 और 201 का अंग बनाया जाय और समय सीमा निर्धारित

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

की जाय और चार मास और दो मास की जो अवधि बताई गई है उसी के माध्यम से राष्ट्रपति पर भी यह पाबन्दी लगे और राज्यपाल पर भी पाबन्दी लगे कि एक निश्चित समय सीमा के अन्दर राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर वे अंतिम आदेश पारित करें । ऐसा किया जाना या इस सिफारिश को मानना इस सरकार के द्वारा हिन्दुस्तान के संघीय ढांचे को बहुत बलवती बनाना होगा, बहुत मजबूत बनाना होगा । इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी से अपेक्षा करती हूं कि वे सदन की भावनाओं को देखते हुए इस संकल्प की सिफारिश को मानेंगे, इस सदन की सिफारिश को मानेंगे और वांछित संविधान संशोधन प्रस्तुत करेंगे । बहुत बहुत धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) : There is one amendment by Mr. Shri Devshanker Dave. The amendment may be moved at this stage without any speech.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE (Gujarat) : Sir, I beg to move :

That in line 7 of the Resolution *for* "some time limit" the following be *substituted :*

'Six months' time limit'.

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) : The Resolution and the Amendment are now open for discussion. Hon. Members, I would like to make one observation. This is a very important issue. I don't think there would be much difference of opinon within this House regarding the seriousness of the matter. It would be better if we get an opportunity to listen to the response and the views of the Government towards this Resolution. Therefore, the Members taking part in the discussion may confine themselves to the major points. Then the Minister will get an opportunity to air the views of the Government. Today is the last day of the session. Unless the Members display sufficient intelligence in being to the point and brief, we will be deprived of the opportunity of listening to the response of the Government. I hope Dr. Ratnakar Pandey will set a very good example of being brief and to the point.

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, जितना आप कहेंगे, उतना ही मैं समय लूंगा ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे सदन की माननीय सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो संकल्प उपस्थित करने के लिए खड़ी हुई हैं, उसमें इस बात पर विचार किया गया है कि :—

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित और राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा अनुमति के लिए आरक्षित बहुत से विधेयक बिना कोई कारण बताए वर्षों तक लम्बित रखे जाते हैं जिससे न केवल राज्य सरकारों के सुचारू कार्यकरण पर असर पड़ता है बल्कि हमारी शासन व्यवस्था का संघीय ढांचा भी कमजोर होता है, यह सभा यह सिफारिश करती है कि राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर उनकी अनुमति दिए जाने के लिए कुछ समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और इस प्रयोजनार्थ यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन भी किया जाना चाहिए ।"

धारा 200 और 201 का उल्लेख किया गया है और उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता । विधान सभा और विधान परिषद्, कुछ राज्यों में विधान परिषद् हैं और कुछ राज्यों में नहीं हैं और हर राज्य में विधान सभा है । दोनों सदन हों या एक सदन हो, वे जब कोई विधेयक पारित करते हैं तो राज्यपाल के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है और विधेयक

की स्वीकृति की वह अनुमति देता है या उसे रोक लेता है या राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ सुरक्षित रख लेता है । इसके अतिरिक्त कुछ अनुच्छेदों में यह भी उपबन्ध कुछ विषयों में है कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं किया गया हो, हो । अनुच्छेद 288 के अन्तर्गत कर राष्ट्रपति ने उसे अपनी अनुमति न दे दी लगाने वाले राज्य का कानून तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे सुरक्षित न रख लिया जाय और राष्ट्रपति अपनी अनुमति उस पर न दे दे ।

अनुच्छेद 304 के अन्तर्गत कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को पास करने के लिए उसकी पूर्व स्वीकृति या मंजूरी भी जरूरी है । राज्यों के अन्दर व्यापार, वाणिज्य या मेलजोल की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए उसकी पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है । समवर्ती सूची के विषयों से संबंध रखने वाले विधेयकों पर भी उनकी संसद के कानूनों से टक्कर होती हो या जिनमें राज्यों द्वारा सम्पत्ति या अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने की व्यवस्था की गई हो, या जिनके द्वारा कुछ विशेषरूप से निर्दिष्ट कर लगाए गए हों, संबंधित राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए रोके रखते हैं । संविधान में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गये हैं । संविधान सर्वोपरि है और राष्ट्रपति राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित विधेयकों को कब तक स्वीकृति के लिए रोके रख सकता है अथवा उन्हें अस्वीकृत कर सकता है यह निश्चित नहीं है । राज्यों के विशिष्ट प्रकार से निर्देशित विधेयकों पर स्वीकृति देने से इन्कार करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूर्ण और वास्तविक है ।

जो संविधान में संशोधन लाकर राष्ट्रपति को टाइम बाउंड करने की बात है उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं । राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, भारत का प्रथम नागरिक है । जो विधान सभाएं या विधान परिषद् पास करती हैं उसमें भी जनप्रतिनिधि रहते हैं । वे जनप्रतिनिधि सीधे जनता से चुनकर आते हैं । एक जनप्रतिनिधि लाखों लोगों की आवाज चाहे यह सदन हो चाहे लोकसभा हो, विधान परिषद् हो गूंजरित करता है । जो जनता की भावना है उसको वाणी देता है । उस वाणी पर ही हम बिल लाते हैं, कानून बनाते हैं और उस पर गवर्नर और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करते हैं उसे स्वीकार करते हैं तो वह देश को जनता के लिए कानून का रूप लेता है । इस संबंध में 25 नवम्बर 1985 की एक कालिंग अटेंशन इसी सदन में आया था और उसमें बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी । आपने समय की सीमा निर्धारित कर दी है । मैंने पूरी प्रोसीडिंग पढ़ी है । उसको कोट करूं तो बहुत समय सदन का लगेगा इसलिए उसका जो मूल मुद्दा है उस पर सीधे आना चाहता हूं । गवर्नर की बात की गयी थी । सरकारिया कमीशन में भी गवर्नर की बात की गयी है । हमारा सौभाग्य है कि आज जिस माननीय सदस्या, मुखर वक्ता, भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाली इस सदन की सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है उनके पति महामहिम कौशल स्वराज जी भी मिजोरम के गवर्नर है । हमारे सदन के एक सदस्य सत्यनारायण रेड्डी जी भी गवर्नर हैं । दूसरे हमारे सदस्य . . . (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गवर्नर बनने के बाद सदस्य नहीं हैं ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मैं कह रहा हूं "थे" । लगता है कि वे अभी हैं ।

[डा. रत्नाकर पाण्डेय]

श्री वीरेन्द्र वर्मा जी पंजाब के गवर्नर हैं, बरनाला जी तामिलनाडु के गवर्नर हैं, श्री सुब्रह्मण्यम जी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, श्री योगेंद्र शर्मा जी संभवत: मध्य प्रदेश . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : हिमाचल प्रदेश के । मध्य प्रदेश में कुंवर महमूद अली हैं ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं । ऐसे ऐसे लोगों को आपने बना दिया है ।

. . . **(व्यवधान)** . . .वही मैं कहने जा रहा हूं । ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया है कि उनके प्रति, उनके पद के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए भी उनका नाम हम सदस्यों को ठीक से याद नहीं हो पाता है कि किसको आपने गवर्नर बनाया है ।

स्वरूप सिंह जी केरल के गवर्नर हैं । मेरे कहने का आशय यह है कि जब आप लोग इधर बैठते थे और हम उधर बैठते थे तो रोज सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जिस तरह के आरोप शासन पर लगाए जाते थे उनसे आप वंचित नहीं हैं उससे अलग आप नहीं हो सकते हैं । जिन लोगों को आप लोकसभा, राज्यसभा में स्थान प्रोवाइड नहीं कर सके, जिन साथियों और संबंधियों को लाना जरूरी था . . . **(व्यवधान)** वीरेन्द्र वर्मा जी जैसे . . . **(व्यवधान)** मैंने सरकारिया कमीशन का नाम लिया है मैं उसी पर आउंगा . . **(व्यवधान)** . . . मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं और आप हमको टोक रही हैं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरी प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन मेरे साथियों की आलोचना कर रहे हैं ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : अब श्री सुब्रह्मण्यम को केवल इसलिए आपने प्रोवाइड किया कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ कमीशन बना था तो उस कमीशन में उन्होंने यह गवाही दी कि इन्दिरा गांधी की रेस्पांसिबिल्टी है, जिसको रोज टेलीवीजन पर आप दिखाते थे । . . . **(व्यवधान)** . . .

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu) : Sir, in what way it is connected with the Resolution ?

डा. रत्नाकर पाण्डेय : गवर्नर के पास बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं । गवर्नरों के एप्वाइन्टमेंन्ट की जो पद्धति है आपकी सरकार की और जिन लोगों को आपने नियुक्त किया है, मैं उनके संबंध में बात कर रहा हूं । उसी आधार पर आज श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा है । उस चीज को मैं आगे ले आऊंगा ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष जी, पाण्डेय जी को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इस सरकार में और इस सदन में स्वयं राज्यपाल की पत्नी राज्यपाल की शक्तियों को कटॅल करने का बिल ला रही हैं, संकल्प ला रही हैं ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मैंने तो शुरू में ही स्वराज पाल जी की तारीफ की थी और आपको भी . . . **(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं तो स्वयं यह संकल्प ला रही हूं, राज्यपाल की शक्तियों को कटॅल करने का, यह समय सीमा बांधने का—यह तो स्वच्छ परिपाटी है ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : आप प्रोटेक्ट कर रही हैं महामहिम राज्यपाल, मिजोरम को, जो आपके पति हैं । यह भी बड़ी खुशी की बात है और अगर वह राज्यपाल न होते, तो शायद आप यह प्रस्ताव भी न लातीं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) : Dr. Pandey, it is not fair *to* make

comments on the spouses of Members of Parliament.

DR. RATNAKAR PANDEY : I am not commenting.

SHRI M. M. JACOB (Kerala) : He is appreciating.

DR. RATNAKAR PANDEY : I am appreciating.

CHOWDHRY HARI SINGH (Uttar Pradesh) : He is giving the background in regard to the Resolution.

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपको तो खुशी होनी चाहिए कि मैं ही यह बिल लाई हूं । ... **(व्यवधान)**

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मेरे कहने का आशय यह था कि ... **(व्यवधान)**

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष जी, इस सदन में जो सदस्य चुन कर आते हैं, वह न किसी की पत्नी होने के कारण आते हैं और न ही किसी के पति होने के कारण आते हैं । वह स्वयं अपने मूल्य पर आते हैं ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : इसीलिए मैं कह रहा हूं, और सोने में सुहागा हो जाता है जब कोई परिवार का व्यक्ति गवर्नर होता है ।

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : मालूम होता है कि पाण्डेय जी अपनी पत्नी के बल पर आए हैं ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मेरी पत्नी तो घर-गृहस्थ है । ... **(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : पाण्डेय जी, व्यक्तिगत चीजों को आधार न बनायें ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं तो गवर्नर की बात कर रहा हूं । और सरकारिया कमीशन का नाम लिया गया है । सरकारिया कमीशन का उत्तर भी गवर्नर पर ही आधारित था । ... **(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : पाण्डेय जी कुछ बोल नहीं रहे हैं और आप सब उनके पीछे भिड़ गये हैं । इट इज नाट फेयर ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : आपकी सरकार ने जिस तरह से गवर्नर्ज की नियुक्ति में राज-नीतिक तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और लोगों को प्रोवाईड करने का साधन गवर्नर का बनाया है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री नहीं थे और विरोधी दल में चले गये थे, तो अक्सर वह कहा करते थे कि सरकार, जो गवर्नर्ज एप्वाइंट करती है, वह पोलिटिकली मोटिवेटेड है । आप उसके उदाहरण के विपरीत उदाहरण देते । आपने जितने गवर्नर्ज को, अधिकांश को किया है, आपकी सरकार अल्पमत में है और जो बहुमत के दल आपका समर्थन कर रहे हैं, या आपके दल के लोग हैं, उनको आप प्रोवाईड करने का एक मंच बना लिये हैं गवर्नर को – तो इसको आपको रोकना चाहिए ।

गवर्नर तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए । गवर्नर समाज की क्रीम होनी चाहिए। गवर्नर स्टेट की प्रतिभा, शक्ति और सारे सामूहिक जनतन्त्र का प्रतीक पुरुष होना चाहिए, या प्रतीक श्री देवी होना चाहिए, न कि राजनीति में जो लोग टिकट नहीं पाये, या चुनाव में हार गये, या जो लोग अक्षम हैं, या किसी को प्रोवाईड करना इस सदन में, उनको हटा करके आप लाये हैं ... **(व्यवधान)**

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) : गवर्नर कैसा होना चाहिए, वह बात यहां नहीं करनी चाहिए। इस हाउस में गवर्नर को राज-नीति में लाना **(व्यवधान)**

डा. रत्नाकर पाण्डेय : इस हाउस में आप अभी आये हैं। इस हाउस में लम्बी कार्यवाही, गवर्नर की नियुक्ति को लेकर के की गई । . . . (व्यवधान)

श्री अनन्तराव देवशंकर दवे : मेरी बात सुनिये । गवर्नर कैसा होना चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिएं, उनकी कोई बात यहां नहीं करनी चाहिए क्योंकि गवर्नर, जो अपनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, उनकी कोई गुणवत्ता की चर्चा यहां से नहीं निकलनी चाहिए । ऐसा मैं मानता हूं ।

DR. RATNAKAR PANDEY : I am not criticising.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) : That is right.

DR. RATNAKAR PANDEY: I have great respect for the Governors. But the way . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) : The Resolution is in regard to the' Bills pending before the President, which are passed by the different Assemblies. Keeping that in view . . .

DR. RATNAKAR PANDEY : It is connected with the Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) : Keeping in view the ambit of the Resolution, you should make minimum reference. Now, the time is over. Please try to conclude.

डा. रत्नाकर पाण्डेय : आई विल कनक्लूड । मैं कह रहा था कि जो हमारे संविधान प्रदत्त महिमामय पद हैं, वह राजनीति में जो लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जाए, इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए और इस प्रवृत्ति पर तभी रोक लगेगी जब कोई सक्षम सरकार हो, जब मजबूत सरकार हो । अल्पमत सरकारों में कोई कुछ कहेगा उसको आप खुश करने के लिए कुछ करिएगा कोई दूसरा दबाव देगा तो उसको खुश करने के लिए कुछ करिएगा। मेरा कहने का आशय यह है कि इन पदों की गरिमा को बनाए रखा जाए और ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाए जो समाज में अपनी गरिमा रखते हों, अपना व्यक्तित्व रखते हों, अपना संवैधानिक और ज्ञानमय अनुदान पूरे राष्ट्र को दे सकते हों, ऐसे लोगों को रखना चाहिए । आप ऐसे-ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जिनका एक नाम भी देश की जनता नहीं जानती है । ऐसे लोगों को नियुक्त करिए जो सर्वव्यापक हों और जिनकी पकड़ प्रशासन पर हो । तीन तरह की चीजें बताई गई हैं। एक प्रेसीडेंट जो है, जो कुछ भी नियुक्ति हम करते हैं राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत हर कागज में सरकारी हम करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अधिकार है । जो पेंडिंग बिल पड़े हैं उनका निपटारा जरूर होना चाहिए । लेकिन अगर कोई सरकार यह भेज देती है कि हम ऐसी चीजों को, हम एक प्रांत में दूसरे प्रांत के आदमी को नहीं रहने देंगे, एक प्रांत में दूसरे प्रांत का आदमी व्यवसाय नहीं कर सकता है, एक प्रांत में दूसरे राज्य के लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, एक प्रांत में दूसरे प्रांत के लोग अपनी रोजी-रोटी नहीं कमा सकता है । बहुमत का फायदा उठा करके राष्ट्र को मजबूत न बना करके उसको कमजोर करने वाले प्रस्ताव अगर भेजे जाएं तो उन प्रस्तावों को रोकने से अगर राष्ट्र की एकता बनती है तो वह कोई अनुचित नहीं है । जहां तक शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव हैं, जमीन भारत के नागरिकों को मिले, उनसे संबंधित बिल हैं और जो अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित बिल हैं, डिस्प्यूट्स के बहुत से बिल हैं, मजदूरों के और उत्पादकों के, उन बिलों को लागू कर देने से कारखाना बंद हो और बेकारी हो ऐसे बिल भी पेंडिंग हैं । मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि वर्षों-वर्ष तक बिल पेंडिंग रहें। राष्ट्रपति हमारे शासन का सर्वोच्च व्यक्तित्व है और उसकी वाणी राष्ट्र की वाणी होती है, उसको समय-बद्ध करना, संविधान निर्माताओं ने जो

संविधान में 200 और 201 धारा बनाई थी उसके पीछे उनका मन्तव्य बड़ा ऊंचा था और राष्ट्रपति को हम समयबद्ध कर दें यह मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्र के लिए हितकर होगा। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स राष्ट्रपति के साथ चीजों को टालते हैं, सालों-साल लटकाते हैं और जांच के नाम पर क्योंकि एक ही तरह के जवाब आते हैं कि अभी उसका परीक्षण हो रहा है। तो परीक्षण का समय निर्धारित होना चाहिए । राष्ट्रपति उस आदेश की भावना लंबे समय तक किसी चीज को रोकने वाले, यहां से वहां करने वाले, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के मन में जो आएगा वह उसी को पास करेंगे और यह कहना कि राष्ट्रपति ने बहुत से विधेयक रोके लिए हैं मैं समझता हूं कि यहां की आवाज राष्ट्रपति तक भी जाएगी । जो विधेयक राष्ट्र के हित में हैं, देश को जोड़ने वाले हैं, उन सब को वह तत्काल भेजेंगे और जो राष्ट्र को तोड़ने वाले, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने वाले और भाषा और डिस्प्यूट के नाम पर, चाहे लेबर का डिस्प्यूट हो, चाहे जातियों का हो और चाहे और किसी तरह का डिस्प्यूट हो, चाहे क्षेत्रीयता का हो, वर्ण भेद और रंग-भेद का डिस्प्यूट हो, इन डिस्प्यूट्स के जो प्रस्ताव हैं उनको समाप्त करेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत के महामहिम राष्ट्रपति को कि उन्होंने राजभाषा हिन्दी संबंधी दो वर्षों में हमने 4 प्रस्ताव समिति ने, जो एकमात्र संसदीय राजभाषा समिति है, सारी संसद की समितियां अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देती हैं, लेकिन संसदीय राजभाषा समिति में प्रावधान है कि वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है एक मात्र समिति है ।

इसलिए उसका दर्जा और समितियों से राष्ट्रपति को अपना प्रस्ताव भेजने के कारण अलग और ऊंचा है । हमारे राष्ट्रपति जी हिन्दी के बहुत बड़े पारंगत विद्वान न हों, लेकिन हम ने उनके पास चार रिपोर्ट्स भेजीं । इस सदन में रखी गयीं और इस सदन में बिना बहस के वे प्रस्ताव पास हुए। यह इस बात का द्योतक है कि सारा देश अपनी राजभाषा और भारतीय भाषाओं को कितना सम्मान देता है। अभी हाल में चौथा खंड हमारे राज्य गृह मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है। जो चार हजार से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण समिति ने अभी तक किया है, उसकी रिपोर्ट है और उसकी सिफारिशें भी अखबारों में मैंने पढ़ा कि कानून का रूप ले चुकी है। पहले खंड में मैकेनिकल असिस्टेंस किस प्रकार दी जाए रोमन की जगह पर **(समय की घंटी)**, यांत्रिक सुविधा किस प्रकार दी जाए। दूसरा खंड अनुवाद पर था। महोदय, हमारा देश अंग्रेजी के अनुवाद पर चल रहा है। हम हिंदी और भारतीय भाषाओं को लाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि किस प्रकार अनुवाद की परंपरा खत्म हो और चीजें भारतीय भाषाओं में ओरिजिनेट हों तीसरा खंड हमारा था – नौकरियों में सेवा देने का क्योंकि नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता की गयी है । भारतीय भाषाओं की उपेक्षा होती है। अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए। ये सब कानून का रूप ले चुके हैं । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जब ये सब चीजें कानून का रूप ले चुकी हैं, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और सारे काम प्रदत्त हैं संसदीय राजभाषा समिति को तो जो हमारा एक्ट है, रूल है और एनुअल प्रोग्राम है, उसके अनुसार सारे काम होने चाहिएं । . . . **(समय की घंटी)** . . . आपके केन्द्रीय मंत्रालयों में अभी भी सारा पत्राचार अंग्रेजी में हो रहा है । अंग्रेजी में 60 प्रतिशत तक पत्र जा रहे हैं और सारे कंप्यूटर अंग्रेजी में पड़े हुए हैं । इन सब को रुकवाने का काम आप कराइए । आपको यश मिलेगा क्योंकि राजभाषा विभाग भी गृह मंत्रालय में है और आप उससे संबद्ध हैं। मैं अधिक न कहकर इतना ही कहना चाहूंगा

[डा. रत्नाकर पाण्डेय]

कि कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ कनवेंशंस होती हैं। राष्ट्रपति पर नियंत्रण लगाना, मैं नहीं समझता कि उचित है। समय के अनुरूप हमारे राष्ट्रपति ने पोस्ट आफिस विधेयक लौटाया है, और विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाए हैं, स्टेट्स को लौटाए हैं। जो देश के हित में नहीं है, उनको लौटाया है उन्होंने। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हम अपने बंधन में बांधना चाहें और किसी तरह से उनको समयबद्ध हस्ताक्षर करने के लिए विवश करें तो स्टाम्पेड और सायनिंग अथारिटी मात्र राष्ट्रपति को न बनाकर देश की 84 करोड़ जनता की भावनाओं के प्रतिनिधि व्यक्तित्व के रूप में उनका सम्मान करें। ...(समय की घंटी) ...यह जो कुछ सुषमा जी लायी हैं, उसमें विलंब न हो यह आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का बंधन लगाने के पक्ष में मैं नहीं हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ आपके आदेश पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सहयोगी सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह बहुत ही समयानुकूल है। 1950 में जब संविधान बना था तब से लेकर पिछले 39 वर्षों में किस प्रकार संविधान विधायकों के संबंध में काम किया है, उसकी भी यहां पर चर्चा हुई है और उन्होंने अपने संकल्प के द्वारा सुझाव दिया है कि जो विधान मण्डल अपने विधेयक पारित कर बाद में राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे जाते हैं, उन पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिये समय-सीमा निर्धारित करना बहुत आवश्यक है।

मैं उनके इस संकल्प से पूर्णतः सहमत हूं क्योंकि कानून बनाने का काम, विधि बनाने का काम विधान मंडलों का है और देश की संसद का है। सुषमा जी ने अपने संकल्प में केवल विधान मंडलों द्वारा बनाए गए विधेयकों की चर्चा की है जो राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार का प्रावधान संसद के द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं, उनके लिए भी है और संविधान के अनुच्छेद-200 और अनुच्छेद-201 में इस बात की व्याख्या की गई है कि किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से राष्ट्रपति या राज्यपाल विधान सभाओं द्वारा या जहां पर विधान सभा या विधान परिषद् है, उनके द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देंगे। मैं संविधान की धारा 200 का उद्धरण करना चाहूंगा।

"Assent to Bills—When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a. Legislative Council, has been passed by both Houses of, the Legislature of the State, it shall be presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom.."

एक स्थिति तो यह है कि राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके कुछ विधेयकों को, जिनको वे चाहें, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजते हैं। और अनुच्छेद 201 में कहा गया है कि :

"When a Bill is reserved by a Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that he' withholds assent therefrom :"

और इस प्रकार से जो संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाते हैं, उसकी व्याख्या अनुच्छेद 111 में की गई है कि :

"When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the Bill, or that he withholds assent therefrom :"

संविधान सभा में जब इन तीनों अनुच्छेदों पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी कुछ लोगों ने इस बात की राय दी थी कि राज्यपाल महोदय के लिए या राष्ट्रपति महोदय के

लिए एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि कितने दिनों के अंदर उन विधेयकों पर वह अपनी सहमति प्रदान करेंगे । लेकिन उस समय इस राय को स्वीकार नहीं किया गया लेकिन जो कुछ हमारे पास उदाहरण है, एक तो जिसकी चर्चा सुषमा जी ने की जो उन्हीं के तारांकित प्रश्न संख्या 3223, दिनांक 5 सितंबर, 1990 में है उसमें यह बतलाया गया है कि 30 अगस्त, 1990 तक 74 ऐसे विधेयक हैं जो कि राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए लंबित हैं। एक विधेयक था कर्नाटक एजुकेशन बिल, 1983, जो कि 10 अगस्त, 1984 से राष्ट्रपति जी के पास विचाराधीन है । दूसरा जोधपुर यूनिवर्सिटी चेंज आफ नेम बिल, 1984 जो 23 मई, 1984 से राष्ट्रपति जी के समक्ष विचाराधीन है और the Tamil Nadu Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Theiein Bill, 17 मई, 1983 से विचाराधीन है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी बिल, 1984, 21 मई, 1984 से विचाराधीन है । सरकारिया कमीशन ने भी इस विषय पर विचार किया था और उन्होंने भी कुछ ऐसे विधेयकों की चर्चा की थी जैसे कर्नाटक सिविल सर्विसिज बिल, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 साल से अधिक तक वह विचाराधीन है । **[उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) पीठासीन हुए]** और इसी प्रकार से एक ट्रेड यूनियन वेस्ट बंगाल आमेंडमेंट बिल, 1969, जो कि 10 नवम्बर, 1969 को राष्ट्रपति जी को भेजा गया था और 22 सितम्बर, 1982 को यानि करीब-करीब 13 वर्ष बाद राष्ट्रपति जी ने उसमें अपनी अस्वीकृति या असहमति प्रदान की और फिर दोबारा पश्चिमी बंगाल ने इसी बिल को दि ट्रेड यूनियन वेस्ट बंगाल अमेंडमेंट बिल, 1983 – भेजा राष्ट्रपति के पास और अभी तक यह बिल उनकी स्वीकृति के लिए विचाराधीन है ।

इन उदाहरणों से यह चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि विधेयकों को पारित करने का काम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का है लेकिन जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधेयकों को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति जी के यहां वह विधेयक वर्षों तक विचाराधीन पड़े रहते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि सही मायने में जनता या जनता द्वारा चुने जो प्रतिनिधि हैं, उनकी मंशा जो कानून के संबंध में होती है वह नौकरशाहों द्वारा या राष्ट्रपति जी के द्वारा उनमें विलम्ब की जाती है और इसलिये सुषमा जी ने अपना संकल्प रखा है कि समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिये, उसका मैं समर्थन करता हूं । सरकारिया कमीशन ने भी इस संबंध में कुछ सुझाव दिये थे उन सुझावों में विस्तार से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन दो बातों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसका उन्होंने जिक्र किया था और यह सुझाव दिया था कि यदि इन बातों को देखा जायेगा, इन बातों को कार्यान्वित किया जायेगा तो हो सकता है कि एक निश्चित सीमा के अन्दर विधान मंडल जो विधेयक पारित करते हैं उनकी सहमति या स्वीकृति राष्ट्रपति जी से मिल जायेगी और सरकारिया कमीशन ने कहा कि

"In our opinion delays in the process of securing President's assent may be minimised, if not eliminated, by . . .

"(1) steamlining the existing procedure both in making the reference by the State Government and its consideration by the Government of India;"

दूसरा उनका सुझाव क्या है :

"(2) prior consultation at the stage of the drafting of the Bill itself."

[डा. रत्नाकर पाण्डेय]

और कुछ ऐसे उदाहरण सामने आये हैं कि विधेयक बनाते समय भी कानून से संबंधित जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी सलाह ली जाती है और उसके बाद सरकारिया कमीशन ने सुझाव दिये हैं कि किस तरह से किस तरीके की कार्यप्रणाली में समय की कमी की जा सकती है। तो मैं सुषमा जी के संकल्प का समर्थन करते हुये एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकारिया कमीशन ने जो संस्तुति की है और साथ-साथ संविधान बनने के बाद हमारे जो अनुभव रहे हैं उनके संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाये और उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की एक संयुक्त समिति बनायी जाये जो इस संबंध में अपने सुझाव तैयार करे कि किन परिस्थितियों में जो पिछले 39 सालों में विधेयकों में देरी हुई है कभी-कभी, उस देरी को दूर किया जा सकता है और यदि समय-सीमा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता है तो इस संबंध में भी इस विषय को इस काम को संयुक्त समिति के समक्ष रखा जाता है और संयुक्त समिति के जो विचार हैं वह संसद के सामने जब आयें तो उन पर विचार करने के बाद मैं निश्चित इस राय का हूं कि राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति जी के पास विचारार्थ जो विधेयक भेजे जाते हैं या राष्ट्रपति जी के पास स्वयं संसद के द्वारा पारित करने के बाद जो विधेयक भेजे जाते हैं उनकी स्वीकृति के लिये उनमें समय की सीमा निर्धारित की जाये या न की जाये और यदि समय की सीमा निर्धारित की जाये तो कितने मास की, कितने साल की की जाये, इसके लिये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के बनाने का सुझाव देने के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

चौधरी हीर सिंह : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीया श्रीमती सुषमा स्वराज ने जो संकल्प पेश किया है और उसकी जो मूल्य मंशा है वह संविधान की धारा 200 और 201 में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को बिलों का अपने पास रखने या उन पर सुझाव लगाकर भेजने या उनको दोबारा विचार करने के लिए कि जो उसमें उपबन्ध किए गए हैं उसमें जो कुछ समय लग जाता है तो समय की जो पाबन्दी लगाना चाहते हैं मोटे तौर पर मैं, उन्होंने जो भाषण दिया, जो पढ़ने को मिला उससे ज्ञात होता है कि जब संविधान बना था, जो संविधान के निर्माता थे वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि वह हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के कानूनी शिक्षा में जानेमाने और हिंदुस्तान के सारे संघर्ष, सारी आवश्यकताएं, जो आज विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वह सब उनके सामने आयी थी तो उन्होंने इस धारा पर सोच-विचार करके खूब मनन करने के बाद में इसको रखा। पर आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति या गवर्नर होते हैं वह कोई साधारण किस्म के आदमी नहीं होते, वह बड़े अनुभवी, विद्वान, योग्य और हिंदुस्तान की सारी जिंदगी के सारे पहलुओं का ज्ञान उनको होता है, तो यह जो पाबंदी लगाने की है कि जल्दी से उन पर पाबंदी लगा दी जाए कि जैसे ही गवर्नर के पास या राष्ट्रपति के पास वह बिल पहुंचे और उसको वह पास कर दें। वैसे ही उस पर वे अपना कन्सेंट दे दें, मालूम पड़ता है कि सब काम जल्दी में करने की सुषमा जी को आदत है और वह चाहती हैं कि जल्दी से वह बिल पास हो जाए। तो जल्दी चलने वाला कभी-कभी ऐसी ठोकर खाता है कि उसका इलाज भी नहीं हो पाता। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे कांस्टीट्यूशन के फाउंडर फादर्स थे, वे साधारण बुद्धि, ज्ञान के आदमी नहीं थे, असाधारण बुद्धि के थे। मैं उनके नाम गिनाने में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप अभी तक कितनी बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं ?

चौधरी हरि सिंह : मैं समझता हूं कि अगर आपने समय की पाबन्दी लगा दी तो इससे संघीय ढांचा लड़खड़ा जाएगा, टूट जाएगा वह इसलिए कि कभी-कभी जो मुख्तलिफ राज्य हैं वह ऐसे कानून बनाते हैं कि आपस में उनके नागरिकों के जीवन और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का टकराव होता है । तो ऐसी हालत में जब राष्ट्रपति या राज्यपाल उस बिल को अपने पास रोककर रखते हैं तो इससे उन्हें उस पर पुनः विचार करने का समय मिल जाता है ।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कहा है कि 4 महीने में वापस कर दीजिए ।

चौधरी हरि सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि समय की कोई पाबन्दी नहीं लगानी चाहिए । कभी-कभी यह होता है कि किसी एक इशू को लेकर सारे देश के अन्दर आन्दोलन होता है, देश के अन्दर एक विद्रोह मच जाता है, तोड़-फोड़ का वातावरण पैदा हो जाता है उस समय अगर वह कानून बन जाए, राज्यपाल उस पर अपना कन्सेंट दे दें तो इससे अहित भी हो सकता है ।

असेंबली के जो मेम्बर्स होते हैं उनके कुछ निहित स्वार्थ होते हैं, पोलिटिक्स होती है । माफ कीजिएगा, जनता से चुने हुए जो आदमी होते हैं उनके बहुत सारे एंगिल्स होते हैं । उसमें एक वोट बटोरने का भी एंगिल होता है । पोलिटिशियन के सामने जब इलेक्शन होता है तो वह दूर-दूर तक अपनी पालिसीज, मानवता, हित-अहित की बात भूल जाता है और उसको केवल इलेक्शन दिखाई देता है । तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन के प्वाइंट आफ व्यू से जो कानून बनने वाले होते हैं उन पर रोक लगाना संभव नहीं होता लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल उस पर ठंडे दिमाग से विचार करते हैं और जब तर्क-वितर्क उस पर होता है तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं ।

महोदय, पहले भी इस देश में राष्ट्रपति हुए हैं । पहले भी उनके सामने ऐसे मसले आए हैं । हमारे राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी एक बड़े महान व्यक्ति थे, हम तो उन्हें देवता स्वरूप मानते हैं । उनके सामने एक बिल - केरला इलेक्शन 1957 बिल आया था जिसको उन्होंने बहुत दिनों तक अपने पास रखा और देश के सभी भागों में उसका रिएक्शन देखा और आखिर में उन्होंने उस बिल को सुप्रीम कोर्ट के पास राय के लिए भेजा । सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी राय भेजी और राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट की राय और अपनी राय के साथ उस बिल को राज्यपाल के पास भेज दिया ।

यही नहीं, मैं वी.वी. गिरि की मिसाल देना चाहता हूं । उनके सामने तमिलनाडु कल्टीवेटिंग टैनेंट एक्ट आया जो स्टेट असेंबली ने पास किया था । उसमें सारी जमीन को, खेती के लिए लेने का प्रावधान था । उस पर यह तय हुआ कि जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कालेज हैं, उनके पास जो जमीन थी, उसको भी ले लिया जाएगा । इससे सारे तमिलनाडु के अंदर एक अजीब तरह का वातावरण फैल गया और लोगों को लगा कि जो धार्मिक संस्थाओं से अभी तमिलनाडु के अंदर ही जमीन ली जा रही है वह बाद में सारे देश के अंदर ले ली जाएगी । मान्यवर, वी.वी. गिरि जी ने इस बिल को अपने पास रखा, उस पर विचार किया, तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में लोगों का रिएक्शन देखा, सारे देश के लोगों का रिएक्शन देखा और कुछ समय बाद उस बिल पर अपने सुझाव देकर लौटा दिया और उसका नतीजा अच्छा हुआ ।

[चौधरी हरि सिंह]

महोदय, मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं । मध्य प्रदेश असेंबली ने जो पंचायती राज बिल पास किया था, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी जिक्र आया और लगा कि जो गाईडलाइन्स संविधान में दी गई हैं, यह उनके खिलाफ पड़ रहा है ।

गवर्नर ने उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने उसमें सुधार करने के लिए लौटा दिया । मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रपति और गवर्नर पर अपने बिलों को जल्दी से पास कराने के लिए पाबंदी लगाना, उनको समयबद्ध करना उचित नहीं होगा । इससे हमारा संघीय ढांचा लड़खड़ा जाएगा, राज्यों में झगड़े शुरू हो जाएंगे । इससे कानून इतनी जल्दी पास होने लगेंगे कि निःस्वार्थ भाव से सोचने पर यही नतीजा निकलेगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पर पाबंदी लगाना मुनासिब नहीं है । इसलिए मैं इस संकल्प का और अगर यह कानून भी बनता है तो इसका मैं विरोध करता हूं ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Sir, one minute. Our hon. Member, Shrimati Sushma Swaraj is advocating for time-limit to be fixed for grant of President's assent to the Bills because they will be lying with the President for years together.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) : You have to address the Chair not the hon. Member.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Before addressing the Member I sought your permission.

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सुषमा जी ने जो संकल्प रखा है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन करते हुए मैं बहुत ही हैरान हूं और हैरत में हूं कि हमारे कुछ साथियों ने इसमें हिस्सा लेते हुए इसका विरोध किया है । पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बहस में मैंने एक ही विषय पर दो परस्पर विरोधी बातें सुनीं । एक यह कि इसे जल्दी भी होना चाहिए और लंबा नहीं होना चाहिए और दूसरी यह कि इसे लंबा होना चाहिए । वरना देश खतरे में हो जाएगा । यह पहली बार नहीं है ।

श्रीमन, जब हमने संघीय ढांचे की व्यवस्था ग्रहण की तो उसके बाद केन्द्रीयकरण की झोंक बढ़ती गई । अधिक शक्ति और क्षमता हाथ में लेने का नशा जो है उसमें हमारे संविधान के जिन महापुरूषों की बातें कर रहे हैं, उनकी जो दिशा थी उसे भी आज हमारे देश चलाने वाले संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग भूल गए। यही वजह है कि राज्य सरकार राज्य विधान सभा में अगर कोई कानून पास करती है तो वह राजनीतिक तरीके से, हड़बड़ी से कोई निर्णय कर लेंगे और दिल्ली में जो बैठे रहते हैं वह राजनीति नहीं करते, उनके लिए देश की एकता और देश का भविष्य सबसे अधिक है, इसलिए वही इसे रोक सकते हैं, यह कैसा आर्ग्युमेंट है, कैसा तर्क है, मैं नहीं समझ सकता ।

श्रीमन, 1935 के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट में जो बात कही गई थी. संविधान की धारा 200 और 201 में उसको लाया गया । उस वक्त की कांग्रेस पार्टी को प्राविंशल एसेंबली में मेजोरिटी मिली जो उन्होंने कहा कि-यह बात सही है कि जंगे आजादी के जो हमारे आइडियल्स थे उसकी स्पिरिट के साथ वह मिलता नहीं था तो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करते हुए कहा-एक एश्योरेंस चाहिए कि केन्द्र की जो डिस्क्रीशनरी पावर है, जो आटोनौमी प्राविंशल हुकूमत को दी गई है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । यह एश्योरेंस मिलना चाहिए, तब हम सरकार बनाएंगे । लेकिन आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वह इसको भूल गए । आज देश की एकता की बात करते हैं।

श्रीमन, ट्रेड युनियन एक्ट और भूमि सुधार कानून 1969 में बंगाल सरकार ने बनाए तो उससे देश को खतरा पैदा होता है। यहां पर हम मजदूरों के लिए रोज आंसू बहाते हैं और जैसा सुषमा जी ने बताया, 1969 में, 1971 में, 1972 में, 1977 में और 1982 में ये कानून केन्द्र को भेजे गए लेकिन फिर भी, सिद्धान्त मानने पर भी, वह पास नहीं किए गए। इसकी समयबद्धता होनी चाहिए।

जोधपुर युनिवर्सिटी का नाम बदला जाए इसके लिए क्षमता रखनी पड़ेगी, कलकत्ता युनिवर्सिटी एक्ट 83 के लिए भी ज्यादा क्षमता चाहिए। दरअसल दिल्ली में सरकार चलाने वाली पार्टी जो है अपने निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करती है। जो देश के हित में, देश की जनता के हित में नहीं करना चाहते।

वह समयबद्ध नहीं होना चाहते ताकि उनको मौका मिले राजनीति करने का। मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

यह सिर्फ राष्ट्रपति की सहमति की बात नहीं है। हमारे पाण्डेय जी ने गवर्नर की अपाएंटमेंट के बारे में बातचीत की। गवर्नर का जो रोल है वह राजनीतिक स्वार्थ का होता है। हमारी कांग्रेस इस समय सत्ता में नहीं है इस लिए वह इस बारे में बातचीत करने को तैयार है। जब वह सत्ता में रहते तो उनका दूसरा रूख रहता। यह हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है कि उनको दूसरा रूख देखने का मौका मिला। जब गद्दी में बैठे रहते हैं तब सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। सरकारिया आयोग के पास मरकजी सरकार ने मेमोरेंडम दिया था। उसमें यह बात कही गयी और संकल्प में जो संशोधन आया है उस बारे में भी कह रहा हूं कि टाइम लिमिट होना चाहिए। राज्यपाल के उपर एक महीने की पाबन्दी रखी जानी चाहिए। एक महीने के अंदर तय करे। आर्टीकल 200 और 201 के अंदर क्षमता है। अगर वह राष्ट्रपति के लिए डिजर्व करता है तो वह 6 महीने के अंदर, सरकारिया कमीशन ने जैसे रिपोर्ट दी है कि चार महीने के अंदर इसको लागू किया जाए, यह रखा जाए। आर्गुमेंट हमारे साथियों ने दिये है इतने दिन तक चलना चाहिए वरना देश खतरनाक हो जायेगा। 1952 में पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे। उस वक्त होम मिनिस्टरी ने इंस्ट्रक्शन दी थी :

That the Bills received from the States should be very expeditiously considered by the concerned Ministry and returned to them within a few days.

अब यह फ्यू डेज का मतलब क्या 69 से 83 होता है? इसलिए यह जो बात कहते हैं और जो काम करते हैं उनके अंदर फर्क है। यह फर्क न हो इसके लिए समयबद्ध होना चाहिए। इसी तरह से जो राज्य सरकारें चुनी हुई हैं, जनता ने जिनको चुन कर भेजा है वे अगर कोई प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसमें जनता की आशा है, आकांक्षा होती है, उसको पूरा करने के लिए सरकार के जो सिद्धांत है वे लागू कर दिये जाएं इसके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा। जो देश की एकता के बारे में सोचते हैं वह आर्टीकल 254 और 248 में है। हमने यह देखा है कि सरकारिया आयोग का दायरा बहुत बड़ा है और यह जो संकल्प है यह एक छोटा सा मामूली सा है। राज्य सरकार को काम करने का मौका दिया जाए, उनको पीछे ने धकेला जाए। हमारा जो विभाजन है लेजिस्लेटिव पावर का, इसमें कांकरंट लिस्ट है उसका भी जिक्र है। यह भी है कि अगर केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच कानून बनाने में कोई फर्क है, कान्फ्लिक्ट है तो केन्द्रीय सरकार के कानून लागू मानें। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार को अपने तहत कानून बनाने का दरअसल कोई हक नहीं है।

[श्री मोहम्मद सलीम]

मैं यह समझता हूं कि यह जो कंकरंट लिस्ट है और जिस तरह से राज्य सरकारों के कानून बनाने के दायरे को आहिस्ता-आहिस्ता केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है इस पर रोक-थाम होनी चाहिए । जो स्टेट के मामले हैं उनको कंकरंट लिस्ट में से निकाल कर स्टेट लिस्ट में ले आना चाहिए । जो पूरे मुल्क के बारे में बहुत अहम चीज हो तो उसमें केन्द्रीय सरकार के पास क्षमता होनी चाहिए, वह कानून बना सकती है ताकि राज्य सरकार की क्षमता को आहिस्ता-आहिस्ता अपनी तरफ खींच लेने की टेंडेंसी खत्म हो जाए । धन्यवाद ।

*SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Resolution moved by the Hon'ble Member Shrimati Sushma Swaraj. There are many differences between D.M.K. and B.J.P. But, I think the Hon'ble B.J.P. Member for moving a Resolution, the subject matter of which is on our party line and indeed, we should have moved such a Resolution. This Resolution moved by Shrimati Sushma Swaraj proposes such amendments in the Constitution as may be required in order that the Bills passed by the State Legislatures may not be kept in abeyance by the President for a long time when they go for his assent. According to information avaiable in Parliament, 74 Bills passed by various State Legislatures are pending with the President for his assent. The list includes eight Bills from Tamil Nadu, eight from Andhra Pradesh, three from Bihar, three from Gujarat, six from Haryana, four from Karnataka, six from Rajasthan, six from Manipur and the list goes further. There are some important Bills passed by the Tamil Nadu-Legislature that have not been assented to by the President. For example, the Tamil Nadu tax and Entry of Goods j into Local Areas for consumption, use | and sale therein Bill, 1983, The Tamil j Nadu Urban Land (Ceiling and Regula-tionj amendment Bill, 1985, The Madras | Race Club Acquisition and Transfer of Undertaking (Amendment) Bill, 1986...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : But that was passed during the time of M.G.R.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN : M.G.R. also belong to Tamil Nadu *(Interruptions)* Yes, he was the Chief Minister of Tamil Nadu. We are only discussing about the Bills passed by the Tamil Nadu Legislature.

Mr. Vice-Chairman, Sir, not only this, the Tamil Nadu Motor Vehicles (Cancellation of Driving Licence for wilful obstruction of Traffic during strike/ Demonstration/protest) Bill, 1987, The Tamil Nadu State Carriages and Contract Carriages (Acquisition) Amendment Bill, 1990, The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) (Amendment) Bill, 1990, The Tamil Nadu Cultivating Tenants Arrears of Rent (Relief) Bill, 1990, and the Tamil Nadu Kudiyiruppu Laws (Amendment) Bill, 1990 are also pending with the President for his assent. When Bills are kept in abeyance in this manner, the State Legislatures become a butt of joke in a federal democracy. Therefore, I strongly feel that, though we call our country a federation, our Constitution is not at all federal in structure. In the past the Constitution was amended a number of times. All these amendments, in spite of strengthen ing the federal structure, have only whittled it down forcing the Constitution close to being unitary. As a result, the Union Government has become a power-centre.

Sir, the Bills passed by State Legislatures go to the Governors for assent. After that, whatever be the decision of the Governors, they have to go to the President. The Bills passed by Parliament also go to the President for his assent. But the President is bound to give assent to the Bills passed by Parliament because, he is bound by the advice of the Union Council of Ministers. So,

English Translation of the Original Speech delivered in Tamil.

tne ruling party at the centre has no problem in getting the assent of the President to the Bills passed by Parliament. Even here, I wish to ask whether the recommendation of the Council of Ministers is necessary at all for a Bill to be assented to by the President, after the Bill is passed by Parliament. This sort of a Constitutional provision only makes us apprehend as though the Council of Ministers is above Parliament. This apart, the ruling party at the centre also advises the President whether he should give his assent or not to Bills passed by the State Legislatures. This is tantamount to interfering in the functioning of a State Government. With a heavy heat I say. because of 'the superimposing powers of the Governors and the Council of Ministers over the State Legislatures, what is at stake is the very spirt of Federal democracy. Under Article 111 President gives assent to the Bills passed by Parliament. Under j Article 200 the Governor of a State gives assent to the Bills passed by the concerned State Legislature. Under this Article the Governor has the discretionary power to withhold assent to a Bill as well. Is such discretionary power necessary ? I feel very strongly that this pernicious Article 200 should be scrapped forthwith. Again, under Article 201, a Bill passed by a State Legislature goes to the Governor from where it is forwarded to the President for assent. Here also the Council of Ministers intervenes and advises the President as to what he should do. It is a pity that in a federal democracy even a Government Bill has to pass through this kind of red tape. This is an affront to the State Legislatures.

Mr. Vice-Chairman, Sir, Shrimati Sushma Swaraj has clearly stated in her Resolution that a time limit should be fixed within which the Governor or the President, as the case may be. will have to give assent to a Bill passed by a State Legislature. This should be done without wasting any further time. Constiiution should be amended, if need be. For example, in U.S.A. the President has to j give his assent to the Bills passed by Parliament or State Legislatures within seven dayu. In Ireland assent must be given in five days. In Burma, the President is bound to give his assent to-the Bills passed by Parliament. In lapan, Parliament is all supreme. There is no Governor or President above Parliament. So, whatever Bills Parliament passes become law there. But in our country we have strange and peculiar procedures and laws. Even Constitutional Amendment passed by Parliament have to go to the President. We have to reconsider whether it is necessary to send even Constitutional Amendments passed by two-third majority in Parliament for the assent of the President. With full responsibility, I say, in the interest of federal democracy, we have to review our Constitution in entirety. Only if we do this and frame our Constitution anew which should be federal, both in structure and spirit, we can revive the sinking hopes of our people in our federal structure. In this connection I want to luote a few lines from the speech of our great leader, the late Peraringnar Anna. In the year 1962, speaking on the floor of this august House, he said :

> "We have a federal structure. That is why, the framers of the Constitution wanted a federal structure and not a unitary structure because, as many political philosophers have pointed out, India is so vast-in fact it has been described as a sub-continent the mental health is so varied, the traditions so different, the history so varied that there cannot be a steel frame unitary structure here ..... The working of the federal structure all these thirteen years has created a sense of frustration in the minds of the states. They feel that the states are fast becoming dole-getting corporation. . . . The States are feeling more and more frustrated that their demand is to make Union Government think there should be a review of the Constitution, reappraisal of my Constitution".

Once again I reiterate what our revered Anna said in 1962. Time is overripe for reviewing the Constitution because, the faith in the federal structure stands shaken. While fixing a time limit within which the President has to give his assent to the bills passed by State-

|Shri Pasumpon lna. Kiruttinan]

Legislatures, we should seriously take up reappraisal of the Constitution so that the decadent federal democracy again blooms in our country. I am once again thankful to Shrimati Sushma Swaraj for moving this Resolution at the right time.

Thank you

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : श्री सुरेश पचौरी । मैं माननीय वक्ता से यह अनुरोध करूंगा कि पांच मिनट में अपनी बात कह दें क्योंकि वक्ताओं की सूची बहुत बड़ी है और आप जानते हैं मन्त्री महोदय को भी बोलना है, सुषमा जी को भी बोलना है ।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, विद्वान सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह मंशा और मजबूरी के बीच फंसा हुआ है । मंशा और मजबूरी के बीच फंसा हुआ संकल्प मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसके पीछे जो भावना है, वह भावना अत्यन्त उचित है और वह इस बात को इंगित करती है कि जो भी विधेयक समय-समय पर विभिन्न राज्यों से लोक महत्व को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए आते रहे हैं, उनकी स्वीकृति शीघ्र मिल जानी चाहिए । लेकिन मजबूरी इसके पीछे जो आ जाती है, वह हमारे भारत का संविधान आता है और हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो अधिकार, जो शक्ति हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को दी गई है, वह अलग-अलग धाराओं के तहत कुछ और ही है ।

इसीलिए मैंने इस संकल्प को मजबूरी और मंशा के बीच फंसा हुआ संकल्प कहा है । इससे सम्भवत: हमारे सभी सांसद सहमत होंगे, पर जो भी विधेयक राज्य सरकारों के द्वारा भेजे जाते रहे हों, उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति जल्दी ही हो जानी चाहिए, ताकि कुछ अन्य विकल्प निकाला जा सके । जिन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, जिन बातों को दृष्टिगत रखते हुए, आम आदमी की तकलीफों का ध्यान रखते हुए, जो विधेयक समय-समय पर बनाए जाते हैं, उसके बारे में यह निर्णय लाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि राष्ट्रपति जी के यहां से उसकी स्वीकृति मिली या नहीं मिल पाई । यदि नहीं मिल पाई, तो उसकी वजह क्या थी और उसके कारण क्या थे ?

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए जाने की व्यवस्था है । इस अनुच्छेद के परन्तुक में कहा गया है कि राज्यपाल किसी ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, जिसके बारे में उसकी यह राय हो कि उच्च न्यायालय की शक्ति में किसी प्रकार का अल्पीकरण होगा या किसी प्रकार उसकी स्थिति संकटापन्न हो जाएगी । राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 201 के अनुसार या तो उसको अपनी सहमति देंगे या फिर उसको अस्वीकृत कर देंगे ।

मान्यवर, जो हमारे संविधान के अन्दर राज्य संबंधी विधानों में संघ सरकार का नियन्त्रण, जोकि एक प्रकार से अंतिम है, अनुमति देने की राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग बिरले ही मामलों में किया जाता है । जब उनकी स्वीकृति के लिए भेजते हैं, तो उसका यह मतलब रहता है कि ज्यादातर प्रकरणों में या विधेयकों में हमको स्वीकृति मिल जाएगी । लेकिन अभी तक जो सरकार के द्वारा सूची बताई गई है, लगभग 74 ऐसे विधेयक हैं, जो अभी तक लंबित हैं, जिनकी स्वीकृति महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां से दिया जाना शेष

जो मेरी सूची है, उसमें आन्ध्र प्रदेश के दो, अरुणाचल का एक, असम का एक, बिहार के तीन, गोआ के चार, ऐसे कई हैं, जोकि लंबित सूची है और आपने समय का बन्धन बांध दिया है, इसलिए मैं पूरा जिक्र नहीं करना चाहूंगा । मध्य प्रदेश का भी उसमें एक है, जोकि 4-12-1987 को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा है, लेकिन अभी तक लंबित है और इसके बारे में कहा गया है कि संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालयों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

यह भी हमारे संविधान में दिया गया अधिकार है और विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से यह समय-समय पर विधेयक बनाए जाते हैं और राष्ट्रपति जी के सामने एक समस्या यह खड़ी हो जाती है कि राज्य सरकार ने वहां के लोक महत्व और वहां की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जो विधेयक सहमति हेतु भेजा है उस समय क्या परिस्थितियां थीं और उसके बाद क्या परिस्थितियां निर्मित हुई और उसकी सहमति के बाद अन्य जगहों पर उसका क्या परिणाम निकलेगा, मान्यवर, संविधान द्वारा राष्ट्रपति की सहमति दिए जाने अथवा सहमति को रोकने में किसी भी प्रकार की समय की पाबंदी नहीं लगाई गई है और इसका परिणाम यह है कि राष्ट्रपति राज्य के विधेयक को अनिश्चितकाल तक अपना विचार करने के लिए रोक सकते हैं जिसके प्रति कि चिंता आदरणीया सुषमा स्वराज जी ने की है, तो इस प्रकार का विधेयक लैप्स नहीं होगा, राष्ट्रपति कितनी अवधि के बाद अपनी सहमति दे सकते हैं, असली चिंता का जो विषय वह तो यह है । आर्टिकल 201 जिसमें कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह रिजर्व और रोक सकता है उसका उल्लेख सुषमा जी ने किया और उसके अमेन्डमेन्ट की बात कही, लेकिन हमारे यहां जो सैवन्थ शैड्यूल में लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट जिसमें कि 97 सब्जैक्ट हैं, स्टेट लिस्ट जिसमें कि 66 सब्जैक्ट है और कंकरेंट लिस्ट् जिसमें कि 47 सब्जैक्ट हैं, उनका जिक्र है। कंकरेंट सब्जैक्ट कुछ इस प्रकार के हैं जिनका संबंध राज्यों से भी होता है और पार्लियामेन्ट से भी होता है । मान्यवर, इसमें एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 254 है जो कि इनकंसिस्टेंसी को केयर करता है जो यह विधेयक इन्होंने प्रस्तुत किया है उसका क्लाज 2 इफैक्ट होगा, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । आर्टिकल 254 के क्लाज 2 के हिसाब से, जो इस प्रकार है :

"(2) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or any existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of that State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, pre-: vail in that State."

महोदय, जो मैंने बताया कि इससे जो इनकंसिस्टेंसी को केयर करता है वह इससे इफैक्ट होगा, क्योंकि आगे इसमें इस चीज का उल्लेख है कि,

"Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing, the law so made by the Legislature of the State."

महोदय, जो मैंने स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का जिक्र किया था और उसके हिसाब से जो समय-समय पर ऐसे मैटर्ज रहते हैं जिसमें कि

[श्री सुरेश पचौरी]

दोनों की कन्सेंट की जरूरत पड़ती है और जो कि स्टेट लिस्ट में ट्रीट नहीं किए जा सकते तब कंसेंट के लिए उनकी आवश्यकता होती है कि वह प्रेसीडेंट के पास भेजे जाएं । इसलिए इसमें ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन कारणों को दर्शाकर जैसे कि अभी जो राज्य सभा में सुषमा जी के एक प्रश्न के उत्तर में और उसका उत्तर जो सरकार ने दिया है कि विभिन्न मन्त्रालयों के पास लंबे समय से, जानकारी जो संबंधित मन्त्रालय से नहीं मिल पाई है, उपलब्ध नहीं हो पाई है जिसकी वजह से कि 74 विधेयक अभी भी लंबित हैं । उनकी स्वीकृति अभी भी नहीं मिल पाई है तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो भी संबंधित मन्त्रालय हों उनके वहां से समुचित जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि लंबे समय तक इन विधेयकों को लंबित न रखा जा सके और इनको स्वीकृति मिल जाए और अनावश्यक विलम्ब न हो । ताकि लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर जो राज्य सरकारें विधेयक भेजती हैं उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति जो भी माननीय राष्ट्रपति जी के अधिकार क्षेत्र में आती है वहां पहुंच सके, ताकि जो अनिश्चय की स्थिति है उससे दूर हो सके, अनिश्चितता का वातावरण दूर हो सके । जहां तक राष्ट्रपति जी के अधिकार की बात है, राष्ट्रपति जी की शक्ति और पावर की बात है वह निर्विवाद है । उस पर कोई बहस नहीं हो सकती और हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत कुछ चिंतन और मनन करके उनको वह अधिकार दिए हैं । उनको किसी भी दशा में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था अवश्य की जा सकती है कि जो अनावश्यक विलंब की यहां बात हुई है जिससे अनिश्चय का वातावरण पैदा हो जाता है, वह दूर हो सके । धन्यवाद ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : श्रीमन् मैं माननीय सुषमा जी ने जो संकल्प इस सदन में पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं क्योंकि जो बात सदन में उन्होंने बताई उसके अनुसार कई सालों से कितने ही स्टेट गवर्नमेंट्स बिल राष्ट्रपति के पास उनकी कनसेंट के लिए विलंबित पड़े हुए हैं । मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जब से यह नयी सरकार आई है, सरकार का परिवर्तन हो गया है, लेकिन लोग अभी तक यह परिवर्तन महसूस नहीं कर रहे हैं कि सरकार का कोई परिवर्तन हुआ है क्योंकि कितने ऐसे काम हैं--कितने ऐसे बिल हैं जो आज दिन तक केन्द्र सरकार के पास वैसे-के-वैसे पड़े हैं । सुषमा जी ने जो बात बतायी कि कुछ मर्यादा उस पर रखनी चाहिए और उस पर से मानवीय चौधरी जी ने कहा कि हम राष्ट्रपति पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं तो पाबंदी लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है । माननीय पचौरी जी ने कहा कि कई महत्वपूर्ण बिल हैं, स्टेट्स से भी आते हैं--उन पर सोच-समझकर अनुमति देनी होती है, उसमें टाइम लग जाता है । अभी पांडेय जी ने जो बात उठायी और कहा कि मैं मजाक में कह रहा हूं कि सुषमा जी के पति मिजोरम में गवर्नर हैं । यहां मैं एक बात कहूंगा कि मिजोरम का एक भी बिल बाकी नहीं है । आज दिन तक कोई भी बिल बाकी नहीं है। गुजरात के तीन बिल पड़े हैं । एक बात मैं जरूर कहूंगा, शायद मंत्री महोदय यह कहेंगे कि बिल की जो अनुसूची भेजी है माननीय सुषमा जी के सवाल के जवाब में, उनका जो प्रोटो टाइप्ड जवाब दिया है, उसमें पेंडिंग विद स्टेट्स, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयालु सिंह) : दवे जी, एक विषय की ओर मैं भी आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आप का एक एमेंडमेंट है ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दूबे : वह मैं विदड्रा कर रहा हूं । मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : प्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाषण भी आप नहीं करेंगे । अभी आप दोनों बातें करलें ।

श्री अनन्त राय देवशंकर दूबे : माननीय चौधरी जी ने जो बताया था कि कोई ऐसे बिल आ जाएंगे कि स्टेट्स में लोगों में हल्ला-गुल्ला हो जाएगा । लेकिन मैं मणिपुर के बारे में बताऊंगा कि मणिपुर पब्लिक लाटरीज बिल आज तक पेंडिंग पड़ा है 6-12-88 से । मणिपुर लाटरीज कन्ट्रोल बिल, मणिपुर फिशरीज बिल, मणिपुर होमगार्ड बिल । मान्यवर, होमगार्ड बिल में तो ऐसी कोई बात नहीं होती । फिशरीज बिल में भी कोई ऐसी बात नहीं है बल्कि उससे सरकार को कुछ-न-कुछ आमदनी होती है । स्टेट को उससे कुछ-न-कुछ आवक होगी । वह स्टेट समृद्ध होगी और उससे कुछ काम जनता की भलाई के कर सकेगी और आगे बढ़ सकेगी । मैं राष्ट्रपति या गवर्नर की कोई टीका नहीं कर रहा हूं । मैं हमारी सदस्या सुषमा जी ने जो बात बतायी है कि कुछ-न-कुछ समय तय करें । तो इस में कोई पाबंदी लगाने का कोई सवाल नहीं है । मैं एक बात और भी कहूंगा कि वर्ष 83 के दो बिल पड़े हैं, 84 के 3, 85 का 1, 86 का 1, 87 के 8, 88 के 13, 89 के 22, 90 के 3 ये इतने बिल आज दिन तक पड़े हैं । जिस बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं वह यह है कि उसमें से गुजरात के तीन बिल हैं । उसके सामने जो रिमार्क है, उसमें पेंडिंग विद स्टेट नहीं लिखा गया है । गेंब्लिंग को रोकने का बिल है । जहां गेंब्लिंग चल रही है, उसके बारे में कोई एमेंडमेंट किया गया है । तो उस बिल में ऐसी कोई झगड़े की बात नहीं है । उसमें कुछ हल्ला-गुल्ला मचाने की बात नहीं है । कोई ऐसी समस्या खड़ी नहीं हो रही है । इसलिए जल्द-से-जल्द कन्सेंट दे देनी चाहिए और जो समय की पाबंदी की बात की गई, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

दूसरी बात है कि यद्यपि सरकार बदल गई है लेकिन लोगों में यह महसूस नहीं हो रहा है । हम यहां बड़े अच्छे-अच्छे कानून बनाते हैं लेकिन लोगों को तो, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा रहता है, उनका काम होता है या नहीं होता है, इससे काम होता है । गुजरात सरकार ने अभी एक नया प्रयोग शुरू किया है कि मंत्री वहां जाते हैं लोगों के पास और कहते हैं कि आपका क्या काम है, आपकी क्या कठिनाइयां हैं ? इसके साथ ही मैं एक बात और कह दूं कि गुजरात के 84 मामले ऐसे हैं कि जो छोटी-छोटी समस्याओं के कारण केन्द्रीय सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं और उनकी वजह से लोगों का काम नहीं हो रहा है । हमारे को लोगों को परिवर्तन महसूस कराना होगा ताकि लोगों को ऐसा लगे कि कुछ काम हो रहा है । अगर ऐसा भी न हो तो हमारा व्यवहार कुछ ऐसा रहे ताकि लोगों को यह लगे कि जो यह सरकार आई है, उनका हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, कुछ न कुछ काम होगा ।

इसलिए जो संकल्प यहां लाया गया है, उस संकल्प का मैं हृदयपूर्वक समर्थन करता हूं । मैं अपने अमेंडमेंट को प्रैस नहीं कर रहा हूं । उनमें कुछ न कुछ दो या चार महीने वाली बात जोड़कर मंत्री महोदय कुछ ऐसा बिल लाएं, संविधान में कुछ संशोधन करें ताकि लोगों को कुछ ऐसा महसूस होने लगे कि सरकार कुछ कर रही है, ऐसी मेरी विनती है सरकार से ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : श्री शारदा महन्ती । आप कृपया तीन मिनट में अपनी बात पूरी करें ।

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, Sir, in public interest, importance and urgency, some Bills are being passed by the State Legislatures and sent to the President for consideration and assent. But no assent is given by the hon. President for years together. So, the Government in the State is unable to implement and execute its laws in due time which brings much difficulty and embarrassment and loss of public money. So, some time-limit may be fixed in this regard. It will be better if the hon. President may be pleased to give his assent or return it at least within six months from the passing of the Bill which will save the State Government from embarrassment. If the Government of India thinks it proper, may amend the Constitution in this regard.

I support the Resolution moved by Smt. Sushma Swaraj and urge the Government to take proper steps in the matter. Thani

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । डा. अबरार अहमद खान । मेरी प्रार्थना है कि आप भी कृपया तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर दें ।

डा. अबरार अहमद खान (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपकी पूरी बात मानूंगा । मैं तो इस पर पूरी तैयारी करके आया था और अकेला ही 30 या 40 मिनट तक बोल सकता था, लेकिन आपने कहा है तो मोटी-मोटी बातें कहकर ही अपनी बात समाप्त करूंगा ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो संकल्प है, जो माननीय सदस्या बहन सुषमा जी ने दिया है, वास्तव में इसको पढ़ने के बाद इसमें कोई दो राये नहीं कि जो बात आपने कही है वह नितान्त आवश्यक है और जिस प्रकार से बहुत से आवश्यक बिलों को, जो राज्य सरकारें या यहां से पास होते हैं, उन्हें राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो स्वीकृति में काफी समय लग जाने से [illegible] और महत्व ही कई एक

का तो समाप्त हो जाता है । लेकिन इसमें अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी राज्यपाल किसी भी बिल को रोकने का शौक रखता हो या उसको नहीं पास करना चाहता हो । जैसे कि भाई पचौरी जी ने कहा था कि मंशा और मजबूरी के बीच में फंसा रहने के कारण ही उसके अंदर देरी होती है । उनकी मंशा होती है कि जल्दी से जल्दी उसको वापिस भेजा जाए लेकिन मजबूरी यह होती है कि जो उसके अंदर वह थ्योरी चाहते हैं या जिस प्रकार की बात वह चाहते हैं उसको वापिस उन तक आने में समय लगता है तो उस कारण से उसके अंदर देरी होती है ।

मैं तो यही कहूंगा कि जो यह संकल्प है, मैं इसका समर्थन करता हूं कि समय-सीमा निश्चित होनी चाहिए लेकिन उसके अंदर जो लिमिटेशन्स हैं, जो मजबूरियां हैं, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, शुक्रिया । माननीय सदस्या श्रीमति सुषमा स्वराज ने जो संकल्प उपस्थित किया मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं तथा साथ ही इस संकल्प के संबंध में जो संशोधन पेश किये गये हैं, मैं उसका भी समर्थन करना चाहती हूं ।

एक सम्माननीय सदस्य : संशोधन वापिस ले लिये हैं ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : अभी क्यों वापिस ले लिया है हम तो विचार .... **(व्यवधान)** मैं करना चाहती थी अब उन्होंने अपना वापिस ले लिया सो अलग बात है । मेरी यह राय थी कि समय-सीमा में इसको बांधा जाना चाहिये । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या अपने इस संकल्प के जरिये

एक अहम सवाल को हमारे सामने लायी है । केन्द्र राज्य संबंधों का यह मसला भारत में जनतंत्र के विकास, इसके परिवर्द्धन से संबंधित है और आज अगर हम अपने देश के कोने-कोने में विभिन्न तरह की अलगाववादी, विभाजनकारी शक्तियों के स्वर उभरते हुये देखते हैं तो इसके बुनियाद में भी कहीं न कहीं हमारे जनतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया में बाधा भी कारण रहा है । इसीलिये माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पिछले दो दशकों में जिस तरह हमारे संविधान में संशोधन किये गये यह सारे के सारे संशोधन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के अधिकारों को हड़पने की दिशा में ही किये गये । केन्द्र सरकार को ही ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की दिशा में ही यह सारे परिवर्तन किये और पिछले दो दशकों का यह इतिहास भी है कि इस दशक में राष्ट्रीय विकास परिषद जैसी महत्वपूर्ण बैठकें भी थोथी औपचारिकता बनकर रह गयीं और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने सातवीं परियोजना पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था उनका कहना था कि इस योजना की प्रक्रिया तो गैर जनतांत्रिक है ही इसका ढांचा भी गैर जनतांत्रिक है । जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारे देश का क्षेत्रफल, हमारे देश की आबादी, विभिन्न राज्यों की अलग-अलग सांस्कृतिक विरासत, उनकी भाषाई विरासत इन तमाम पहलूओं को देखते हुये हमारे देश की एकता, हमारे देश की अखंडता तभी सुरक्षित रह सकती है जब हम अपने इस देश की मूल अन्तरात्मा को समझते हुये अपनी विधायी शक्तियों का सही ढंग से बटवारा करें । लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि इसी मूल पक्ष की ओर हमारे शासकों ने उतना ध्यान नहीं दिया और जिस बुनियाद पर हमने यह महल खड़ा किया, जो 1935 के कानून के आधार पर हमने अपनी विधायी शक्तियों का बटवारा किया, संघीय सूची राज्य सूची और अनुवर्ती सूची या समवर्ती सूची कुछ भी कहिये, जिसके आधार पर हमने बंटवारा किया, तो मुझसे पहले तो एक सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये थे उन्होंने भी इस प्रसंग की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि किस तरह समवर्ती सूची का बार-बार दुरुपयोग किया गया है । जब भी केन्द्र और राज्य के बीच में कोई तकरार खड़ी होती है, केन्द्र के निर्णय को ही अंतिम निर्णय मान लिया जाता है । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि तब यह अंतर, अनुवर्ती सूची को कोई मायने ही नहीं रहता, यह केन्द्र की एक सूची बनकर रह जाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका पिछले दो दशकों में एक टैक्स कलैक्ट्रेट की भूमिका बन कर रह गयी है । स्वराज्य सरकारों को जो स्वायत्तता देने की बात हम करते रहे हैं इस स्वायत्तता का लगातार उल्लंघन हुआ है । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं सरकारिया कमीशन के सामने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जिस तरह अपना मन्तव्य पेश किया गया उसको उद्धृत करना चाहूंगी । सरकारिया कमीशन के सामने पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहा था कि एक सच्चे संघीय ढांचे की जरूरत को पूरा करने के लिए विधायी शक्तियों का पूर्णरूपेण पुनर्विन्यास होना चाहिये । यह इतना संगीन मामला है कि जब तक हम इसको पूर्णरूपेण पुनर्विन्यास नहीं करेंगे तो इस तरह के तमाम मसले हमारे सामने आते रहेंगे । इसलिये उन्होंने कहा था और उन्होंने यह भी मांग की थी कि अनुवर्ती सूची को समाप्त कर देना चाहिये और इसके अलावा धारा–200 से जाहिर है कि अनुवर्ती सूची वास्तव में एक दूसरी संघीय सूची ही है । इसी में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी दिखाया था कि किस प्रकार धारा 248, 239 के प्रावधानों तथा संघीय सूची की मद 2, 3, 40, 48, 52, 53, 54, 56 तथा 61 के अधीन राज्यों

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में केन्द्र सरकार ने दखलंदाजियां की हैं । पश्चिम बंगाल सरकार ने उसमें यह भी बताया था कि संघीय सूची की 52 नंबर प्रविष्टि के जरिए किस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने लेजर ब्लेड, माचिस की तीलियां, सिलाई और बुनाई की मशीनों, डिब्बा बंद फलों आदि उद्योगों तक को केन्द्र के अधीन रख दिया है । इसी संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सलाह दी थी कि कानून के मामले में या किसी भी तथ्य के मामले में केन्द्र तथा राज्यों के बीच विवाद होने पर, संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि इन विवादों पर कोई भी राय सिर्फ केन्द्रीय मंत्रिमंडल की राय से नहीं बल्कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की राय से ही मानी जानी चाहिए और उसी को अंतिम माना जाना चाहिए ।

महोदय, सरकारिया आयोग ने सभी राज्य सरकारों से यह सवाल करते हुए बताया था कि 1956 से 1965 तक के काल में 170 विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति के मामले में, केन्द्र ने राज्यों पर अपनी नीतियों को थोपा है । यद्यपि यह सच है कि राष्ट्रपति की सहमति को बहुत थोड़े मामलों में रोककर रखा गया है, सरकारिया आयोग का सवाल था कि क्या इससे यह पता नहीं चलता कि राष्ट्रपति की स्वीकृति की इस प्रक्रिया में राज्यों की स्वायत्तता पर बहुत असर नहीं पड़ता । आयोग ने अपने इस कथन पर राज्य सरकारों की राय मांगी थी । इसके जवाब में पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1984 में कलकत्ता विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का प्रश्न उठाते हुए कहा था कि ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिनसे पता चलता है कि राज्यों के राज्यपालों ने धारा 200 तथा 200(ए) का इस्तेमाल केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पक्षपातपूर्ण हितों के लिए किया है, जैसा कि सुषमा जी ने बार-बार उल्लेख किया है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इसके अलावा संविधान की धारा 356 का भी लगातार दुरुपयोग किया गया इस 356 धारा में भी आमूलचूल परिवर्त किया जाए ताकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के इशार पर राज्य सरकारों की स्वायत्तता से खेला जाए । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जब हम बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारी माननीय सदस्या ने बिल्कुल सही समय पर इस सवाल को उठाया है, इसलिए मैं इसका तहेदिल से समर्थन करती हूं और यह चाहती हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जो स्वायत्तता की और कदम उठा रही है और जिसने अंतर्राज्यीय परिषद की बात भी कही है और इस संबंध में कुछ बैठकें भी की हैं .... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्या से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज इस सत्र का आखिरी दिन है और कई महत्वपूर्ण सवाल बाकी हैं इसलिए ... **(व्यवधान)**

श्रीमती सरला माहेश्वरी : बस मैं खत्म कर रही हूं । मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती थी कि वह इस दिशा में जल्दी से जल्दी कदम उठाए और हमारे केन्द्र-राज्य संबंधों को एक स्वस्थ रूप दे ।

इसके साथ ही मैं माननीय सदस्या के संकल्प का समर्थन करते हुए उन्हें धन्यवाद देती हूं और फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : इसमें दो रायें नहीं हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है जिसे माननीय सदस्या सुषमा जी ने इस सदन के सामने रखा है । यह एक निजी प्रस्ताव है फिर भी सभी दलों के माननीय सदस्यों ने जिस तरह से इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है । अभी कुछ और वक्ता बोलने वाले हैं, जिन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया है वह भी

अपने विचार प्रकट करेंगे लेकिन बीच में सरकार भी अपना मंतव्य दे इसलिए अब मैं मंत्री महोदय को इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो सवाल उठाया है वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और उसकी गंभीरता को सरकार पूरी तरह समझती है लेकिन चूंकि मेरे बोलने की समय सीमा कम है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सदस्यों ने इस पर दो तरह की राय दी है । कुछ सदस्यों ने जैसे मालवीय जी ने कहा है कि सरकार इन सारी चीजों पर अपने अनुभव से एक रिपोर्ट बनाए । उन्होंने यह सुझाव दिया है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत संविधान के रचयिता ने जो राज्य और केन्द्र के विषय रखें हैं और उनके तहत जो राज्य विधान मंडलों से पारित बिल राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए आते हैं, उसके संबंध में बहुत ही विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने किया होगा । जनतांत्रिक प्रणाली परंपराओं से चलती है और उस परंपरा में कहीं न कहीं ढिलाई हुई है जिसके तहत श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने इस सवाल को उठाया कि संविधान के तहत अगर जरूरत हो तो इसे समयावधि के अन्दर बांधा जाए । मैं समझता हूं कि जो संविधान रचयिता हैं, जो राष्ट्रपति संविधान के रक्षक होते हैं उन्हें समयावधि में न बांधा जाए, इस पहलू पर पूरी तरह विचार करके 200 और 201 के तहत यह अधिकार उनको दिया हुआ है ।

माननीय सदस्या ने उच्च न्यायालय की जो रूलिंग है उनके बारे में बताया कि न्यायालय ने भी इसे वैध माना है कि समयावधि के अधीन न बांधा जाए । यह सही है कि इस तरह के बिल जो राज्य सरकारों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर से अलग होते हैं, जो केन्द्रीय सरकार की नीति या निर्धारित गाइडलाइंस से अलग होते हैं, जिनके तहत वैसे सवालों पर राज्य सरकार से फिर से वार्ता करके और जिस प्वाइंट पर क्लेरिफिकेशन लेना होता है वह काम मंत्रालय करता है । खास तौर से गृह मंत्रालय एक नोडल मिनिस्ट्री का काम करता है, इसको मानिटर करने का काम करता है और वह काम हम लोग कर रहे हैं ।

श्रीमन्, अभी तक 75 बिल हैं और 1990 में जो बिल आए हैं उनकी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है जिसमें 6 होम मिनिस्ट्री के पास हैं, 6 ला मिनिस्ट्री के पास हैं, एक डिपार्टमेंट आफ इंडस्ट्री के पास है, एक एजूकेशन के पास हैं, 4 मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन के पास हैं, 4 मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन के पास हैं, 7 रूरल डेवेलमेंट के पास हैं, 5 लेबर मिनिस्ट्री के पास है, 4 डिपार्टमेंट आफ इकानामिक अफेयर्स के पास हैं, एक मिनिस्ट्री आफ वैलफेयर के पास है, 2 सरफेस ट्रांसपोर्ट के पास है, इस तरह से कुल 41 विभिन्न मंत्रालयों के पास हैं । 34 राज्य सरकारों के पास लंबित हैं जिनमें से सबसे लंबी अवधि से जैसा माननीय सदस्य ने कहा था, 1988 से तमिलनाडु के टैक्स से संबंधित बिल है । यही नहीं, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति के यहां से बिल वापस न आ जाए, इसलिए संबंधित राज्यों से वार्ता करके और जो विभिन्न मुद्दों के ऊपर जहां पर रुकावट होती है और जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होते हैं, उनमें सुधार के लिए अनुरोध करते हैं । माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी का बिल भी लंबित है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम से सम्बन्धित अकेला

[श्री सुबोध कांत सहाय]

बिल नहीं था बल्कि प्रोसिजर आफ पेमेंट, वाइस चांसलर की बात भी थी । यह एक मूलभूत बात थी । इसमें भी संशोधन करके भेजा था। ऐसे सवाल जहां आते हैं वहां फिर राज्य सरकारों के पास भेजा जाता है । होना तो यह चाहिए प्रक्रिया में कि राज्य सरकार अगर अपना कोई बिल बनाती है तो उसको सम्बन्धित मंत्रालय के पास या गृह मंत्रालय भेजे । अगर उसमें कोई संशोधन करके भेजना हो तो पेश होने से पहले वह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी । यह जो परम्परा है लम्बे समय तक बिल मंत्रालयों के पास पड़े रहते हैं वह खत्म हो जायेगी । 1972-73 में गृह मंत्रालय ने एक पत्र लिखा था । उसके बाद 1989 में भी एक पत्र लिखा था उसमें यह था:

"It has been our experience that the State Governments do not always follow the instructions, especially in regard to the time schedule. There has been a case where a State, while seeking to extend the life of an existing legislation, has sent it to us for obtaining the assent of the President just 10 days before the crucial date from which it has to come into force, even though the date of the existing legislation was known years in advance. There has been a case where a State, while seeking to replace an Ordinance from a particular date, has sent it to us for obtaining (he assent of the President only two days before the material date."

स्थिति यह है कि गलतियां यहां से ही नहीं हो रही है राज्य सरकारों के द्वारा भी हो रही है । जिस मंशा के मुताबिक माननीय सदस्या ने अपनी मांग रखी है उसी मंशा को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं केन्द्रीय सरकार ने सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है कि चार महीने की अवधि रखी जाए, राज्य सरकारों से सम्बन्धित इस तरह के बिल हों उनको जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा सके तो मैं समझता हूं सरकार इस पर कार्रवाई करेगी ।

इसके साथ मेरे पास बहुत लम्बी तकरीर करने के लिए नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से अगर हम एक नई पद्धति एक नई परम्परा के अनुसार अपने देश के जनतांत्रिक मूल्यों को लेकर चलें जिसके संरक्षक राष्ट्रपति हैं और जिन मूल्यों को हम संविधान के तहत समावेश करके अपने देश को एक नयी रूपरेखा देना चाहते हैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार उन्हीं मूल्यों के आधार पर सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट और उनकी रिकमेन्डेशन को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्या से जो प्रस्ताव आया है उनसे अनुरोध करता हूं कि वह वापस ले लें, एक परम्परा के अनुसार उन्हें आश्वासन देता हूं जो उनके विचार हैं उन पर सरकार विचार करेगी ।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : मैं मन्त्री महोदय से सिर्फ एक सफाई चाहता हूं । मैं यहां यह जानना चाहता हूं कि अगर बिल आ जाए राज्य सरकारों में विलम्ब हो तो अलग बात है जब केन्द्रीय मंत्रालय में आ जाए तो उसका समय निर्धारण कर दिया जाए । राष्ट्रपति का समय निर्धारण करने में दिक्कत है, मैं मानता हूं दिक्कत होगी तो गृह मंत्रालय का समय निर्धारित कर दीजिए । और जब यहां पहुंचे तो उसके इतने दिनों के अन्दर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए, इतना करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इसलिए मैं इस बारे में जानना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : कुछ माननीय सदस्य बच रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वे दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar) : Mr. Vice-Chairman, thank you very much for giving me some time. I think, basically I would like to make very limited observations.

In the first place, J should say that the Bill has created an occasion for us to look at the working of the Constitution and the Centre State relations. I think, within

the federal structure we have the concept of a strong Centre. We do accept that the country needs a federal structure, functioning federal structure, but for basic reasons the founding fathers did conceive of the possibility of a strong Centre.

The whole question arises from how much of this discretionary power arising out of different arrangements the Government uses to the advantage of the concept of the federal structure or to the disadvantage of it. Mrs. Swaraj talked about perhaps a calculated delay, in the process creating a situation where a State Government's intents behind a specific legislation, tend to suffer. To the extent that it is a calculated delay and there is genuine suffering at the implementation of the State Government's objectives behind that legislation, there is a need for course correction.

But I would like to raise this question that when a new initiative takes place like that of the conception of the Panchayati Raj Bill, the previous Government had tried to devolve power and resources at the district level well beyond the State level, but then the Constitution Amendment failed. That simply shows that the logic behind giving more autonomy or more decentralisation is limited at the State level rather than being a total commitment to the process of decentralisation. So, I would like to submit that when we are thinking in terms of further devolution of power and resources, we should go back to those considerations which were behind the Panchayati Raj Bill that we were trying to bring.

Also Mr. Vice-Chairman, I would like to submit that all cases of delay cannot be put together in the same basket. There could be a situation where a proposed Bill or a Bill passed by a State Legislature, which has come for President's assent, could be encroaching, as the Minister was trying to suggest, on the delicate structure of the Constitution. In such a situation, I would submit for the consideration of the Government that there should be scope for a meeting of minds at the initiation of the legislative process at the State level. And secondly, to bring home these kinds of likely discrepancies in a specific subject area, the Ministry of Law could have a kind of codification and bring together all the State and the Centre people to see how incongruities arise as a result of the decisions taken at the different State Legislatures in one common area and how they could be avoided. So, there are ways of going about that. If there is a will to continue with the delicate balance of the Constitution of the functioning federal structure without jeopardising the functioning of the Central executive for the purposes that it has the right to exercise this judgement, we can make some progress.

With these words, Mr. Vice-Chairman, I would submit that if the spirit of Mrs. Swaraj's proposition is accepted and the Government moves, then, things could improve.

Thank you very much for giving me the opportunity.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आखिर में आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया है और बहुत ही विद्धतापूर्ण भाषण दिया है ।

मान्यवर, मंत्री जी के बोलने के बाद मैं समझता हूं कि अब बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सरकारी पक्ष के हैं । लेकिन श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो संकल्प रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 राज्य विधान मंडल के पास विधायकों की स्वीकृति के बारे में प्रावधान है और संसद द्वारा पारित विधेयकों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 111 में है । मैं समझता हूं कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी के संकल्प के अनुसार संविधान में निश्चित रूप से संशोधन होना चाहिए ।

5.00 P.M.

माननीय मंत्री जी ने भी कहा और कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा । मैं राष्ट्रपति

[श्री ईश दत्त यादव]

के प्रति और संविधान के प्रति सम्मान रखता हूं, हृदय से सम्मान रखता हूं । लेकिन अन्यवर, 65-66 संविधान संशोधन हो चुके हैं । . . . **(समय की घंटी)** . . . मैं समाप्त करता हूं, घंटी बज गई है और समय की पाबंदी हो गई । मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी और सरकार सुषमा स्वराज जी के संकल्प पर गंभीरता से विचार करें और ऐसी व्यवस्था करें कि जो विधेयक पास होकर आते हैं, वे यथाशीघ्र स्वीकार कर लिए जाएं या जो भी निर्णय होना है वह निर्णय ले लिया जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : श्रीमती सुषमा स्वराज ।

[उपसभापति पीठासीन हुईं]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया,

उपसभापति : काहे पर बोल रही हैं ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो संकल्प मैंने दिया था उसका जवाब दे रही हूं ।

उपसभापति : बोल लीजिए ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, मेरे इस संकल्प के समर्थन में मंत्री जी समेत 13 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए । सिर्फ एक चौधरी हरी सिंह को छोड़कर, जिन्होंने स्पष्टतौर पर संकल्प का विरोध किया है, बाकी सभी सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इस संकल्प का समर्थन किया है । कुछ लोगों ने तो उदार मन होकर इस संकल्प का समर्थन किया है, जिनमें, मैं नाम लेना चाहती हूं, पो. मोहम्मद सलीम का, बहन सरला माहेश्वरी का, ईश दत्त यादव का, पी. के. किरूट्टिनन, अनन्तराय देवशंकर दवे का, जिन्होंने बहुत संपूर्णरूप से, जिस भावना से मैंने इस संकल्प को रखा था, उससे भी ज्यादा बड़ी भावना दिखाते हुए इस संकल्प का समर्थन किया है । जहां तक कांग्रेस (आई) दल से संबंधित सदस्यों का सवाल है, भाई सूरेश पचौरी ने उस बात को जुबान दे दी कि वे मंशा और मजबूरी के बीच में फंसे हुए हैं और उस सुविधा के रहते हुए भी उन्होंने मजबूरी का इजहार करते हुए मंशा से समर्थन किया, भावना से समर्थन किया । श्री रत्नाकर पाण्डेय ने अंत में यह कहा कि विलंब नहीं होना चाहिए और इन विधेयकों पर ऐसा कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। सूरेश पचौरी ने भी कहा कि विलंब नहीं होना चाहिए । प्रो. सी. पी. ठाकुर ने भी कहा कि विलंब नहीं होना चाहिए, कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए । लगता है कि ये तमाम के तमाम साथी संकल्प का पूर्ण समर्थन करना चाहते थे लेकिन शायद ऐन मौके पर दल का नीति-निर्देश मिला कि उन्हें इस बिल का पूर्ण समर्थन नहीं करना चाहिए । इसलिए वे तर्क नहीं जुटा पाए । लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सब ने अंत में यह बात कही कि विलंब नहीं होना चाहिए और इसका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए । मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर कोई दूसरा रास्ता उनके पास था तो उसको सुझाते, बताते कि कौन सा दूसरा रास्ता है, इस विलम्ब को रोकने का । एक बात मैं पूरी दृढ़ता से कहना चाहती हूं । उपसभापति महोदया, यहां बात कही गई कि राष्ट्रपति जी की स्थिति को विवादास्पद नहीं बनाना चाहिए । मैं यहां पर बहुत विनम्रता से और पूरी दृढ़ता से यह बात कहना चाहती हूं कि राष्ट्रपति जी की स्थिति को विवादास्पद बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता । राष्ट्रपति पद जितना गरिमामय है, उस पद की जो प्रतिष्ठा है उसको कम करने की गुस्ताखी की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तो जनतांत्रिक संस्थाओं में संपूर्ण आस्था रखने वाली महिला हूं । किसी इंस्टीट्यूशन पर किसी तरह का प्रहार मेरी तरफ से हो इस बात को मैं सोच भी नहीं सकती।

मैंने तो परिस्थिति विशेष का आकलन किया और पाया के परिस्थिति भयावह है कि 13-13 वर्षों तक विधेयक लंबित किए जाएं और राज्य सरकारों को बिना कोई कारण बताए उनको न लौटाए जाएं । चौधरी हरी सिंह जी ने कहा सुषमा स्वराज चाहती हैं कि जल्दी में बिल पारित किया जाए । लगता है कि उन्होंने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना । मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि जल्दी में बिल पारित कर दिए जाएं। बल्कि अपना वक्तव्य देते समय मैंने यह बात साफ कही कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इस बात को जोखें, पजोखें, तोलें और कसौटी पर करें कि अमुक विधेयक देश के हित में है या नहीं । केन्द्रीय संसद द्वारा बने हुए कानून कार्यपालिका के अनुकूल हैं या नहीं हैं, इनकन्सिसटेंट तो नहीं हैं, वाकायदा देखें । मेरा महज कहना इतना है कि उस देखने और करने को अनिश्चय की स्थिति में न डाला जाए । अगर यह समझते हैं कि वह देश के हित में . . .

उपसभापति : सुषमा जी ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं समाप्त कर रही हूं ।

अगर वे समझते हैं कि अमुक बिल देश हित में नहीं है तो लौटा लें, सहमति रोक लें, मना कर दें, राज्य सरकारों को कारण बता दें । लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि 13-13 साल यहां बिल पड़े रहें और जब संसद में जवाब मांगा जाए तो गृह मंत्रालय रटा-रटाया जवाब दे दे कि प्रशासनिक मंत्रालयों से, संबंधित मंत्रालयों से बात हो रही है ।

मैं कहना चाहूंगी माननीय सदस्यों को कि मैं राष्ट्रपति की कार्य प्रणाली पर तो बात ही नहीं कर रही थी । बात तो केन्द्रीय कार्यपालिका की कार्य प्रणाली की है, यूनियन एक्जीक्यूटिव की कार्य प्रणाली की है । रिफ्लेक्शन तो गृह मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर है । राष्ट्रपति को खामख्वाह बीच में क्यों घसीट रहे हैं । यूनियन एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बिलों को फ्लाउट करके उन बिलों को अपनी फाइलों की रैक्स की धूल चटाती है । 13-13 साल तक लंबित रखती है । मैं केवल उस प्रणाली की बात कह रही थी । राष्ट्रपति के प्रति एक शब्द भी कोई ऐसा कहा जाए जो उनकी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाए मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूं । लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी । मैं मंत्री महोदय से आशा रखती थी कि वे सारे सदन की भावना को देखते हुए—कांग्रेस के सदस्यों ने भी इसका एक तरह से समर्थन किया—इस संकल्प को मानेंगे लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो एक नारा देते हैं, जब हम सरकार में आकर बैठ जाते हैं तो हम कन्स्ट्रेंट्स की बात करते हैं । कम से कम कांग्रेस के लोगों ने अगर पहले इस तरह की बात—समय सीमा निर्धारित नहीं की तो अब विपक्ष में जाने के बाद भी उन्होंने इस बात को कायम रखा कि समय सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकारिया आयोग में जाते हुए तमाम वे राजनैतिक दल जो इस तरफ बैठे हुए हैं, डी. एम. के., सी. पी. आई. "एम", बी. जे. पी., जनता दल, सब लोगों ने सरकारिया आयोग के सामने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया था और समय सीमा निर्धारित करने की बात की थी । आज डी. एम. के. लोगों ने उस बात को कहा, सी. पी. आई. "एम" के लोगों ने उस बात को दोहराया । बी. जे. पी. की तरफ से तो मैंने संकल्प ही प्रस्तुत किया है . . .

(समय की घंटी)

उपसभापति : हाउस का भी समय निर्धारित कर दें ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : लेकिन उपसभापति महोदय, मैं चाहती थी कि राष्ट्रीय

मोर्चा की सरकार आगे बढ़कर इस बात को कहे । मंत्री महोदय कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी वैधता मानी है । यह बात गलत है । जो मैं साइटेशंस कोट कर रही थी उसमें मैं यह कह रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान की व्यवस्था के अभाव में वे अनिश्चितकालीन समय तक रख सकते हैं । जब आप संविधान में उपबंध ही नहीं करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी किस पर करेगा। उन्होंने वैध नहीं माना है इसको ।

मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है क्योंकि मैं यह सोचकर संकल्प लाई थी कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सरकारिया आयोग की सिफारिशात को मानने के लिए प्रतिबद्ध है । यह तो एक बहुत छोटा मामला है, एक छोटा सा पैरा है । अगर इसको भी नहीं मान रहे हैं तो फिर आप कौन सी स्वस्थ परम्परा की बात कर रहे हैं । मैंने तो अपनी बात कहते हुए ही कह दिया था कि मंत्री महोदय का जवाब इस लाइन पर आयेगा कि हम स्वस्थ परम्परा और स्वस्थ परिपाटी की बात करें। चलिए, कुछ समय मैं आपको और दे देती हूं, आप स्वस्थ परिपाटी और स्वस्थ परम्परा का निर्वहन करते हुए अगर इस विलम्ब को रोक पाएं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी । लेकिन अगर स्वस्थ परम्परा के मातहत आप इसको न रोक पाए तो आपसे यह आशा करूंगी कि आप संविधान के अंदर इसको डालें और संविधान का संशोधन करें ।

उनके आश्वासन को देखते हुए और केवल यह सोचते हुए कि उनकी नीयत सद है, उनकी सदनीति पर विश्वास करते हुए मैं इस संकल्प को वापस ले लेती हूं ।

श्री दिठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : महोदया. . .

उपसभापति : उनको वापस लेने की परमिशन तो दे दीजिए फिर मैं आपको परमिशन दूंगी बोलने की ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने रिजोल्यूशन विदड्रा कर लिया है । उन्होंने अमेंडमेंट भी विदड्रा कर लिया है ।

उपसभापति : उन्होंने अमेंडमेंट भी विदड्रा कर लिया है ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Bill, 1990.

JOINT SECRETARY : Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Additional Secretary of the Lok Sabha :

"In accordance with the provisions of Rule 101 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that the following amendments made by Rajya Sabha in the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India Bill, 1990, at its sitting held on the 5th September, 1990, were taken into consideration and agreed to by Lok Sabha at its sitting held on Thursday, the 6th September, 1990 :—

Clause 4

1. That at page 4, *after* line 36, the fol lowing be *inserted*, namely :—

"(4) The recommendations made by the committee constituted under sub-section (1) shall be binding for the purposes of appointments under this section."

Clause 7

2. That at page 5,

"(i) after line 40, the following be *inserted* namely :— (a) ceases to be a citizen of India; or

(ii) the existing entries (a) *to* (d) be renumbered as entries (b) to (e) respectively."

उपसभापति : उस वक्त लंच हावर हो गया था । इसलिए कहा था कि आप को